# कुरुक्षेत्र

जनवरी 1986 मूल्य 1.50 रु०

## जनजातीय विकास के आयाम

# सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 530 लाख लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जायेगा

केन्द्रीय कृषि मन्त्री श्री बूटा सिंह ने बताया कि 1989-90 तक गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीणों की संख्या घटा कर 1690 लाख पर लाने का प्रस्ताव है। 1984-85 में इनकी संख्या 2220 लाख थी। यह उद्देश्य आर्थिक विकास में तेजी लाकर और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कारगर क्रियान्वयन से पूरा किया जायेगा।

राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास विभाग से सम्बद्ध मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री बूटा सिंह ने कहा कि सातवीं योजना का मुख्य उद्देश्य अनाज उत्पादन बढ़ाना, रोजगार के बेहतर अवसर जुटाना और उत्पादकता बढ़ाना है। इससे आगामी पांच वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन लोगों की संख्या 39.9 प्रतिशत से कम होकर 28.2 प्रतिशत हो जाएगी।

गरीबी उन्मूलन को एक राष्ट्रीय कार्य बताते हुए श्री बूटा सिंह ने राज्यों से कहा कि सभी विकास गतिविधियों का लक्ष्य गरीबी को कम करना होना चाहिए और प्रत्येक कार्यक्रम के क्रियान्वयन के समय गरीबी को दूर करने के उद्देश्य का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।

मंत्री महोदय ने कहा कि केन्द्र सरकार 1995 तक ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की संख्या 40 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत तक लाने के लिए वचनबद्ध है।

कृषि मंत्री ने कहा कि विकास परिप्रेक्ष्य में गरीबी दूर करने और लोगों की अनाज, कपड़ा, मकान, प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य देख-रेख की बुनियादी सुविधाओं की पूर्ति के लिए अगले 15 वर्षों में सभी को पूरा रोजगार उपलब्ध कराने का उद्देश्य निहित है।

## छठी योजना का प्रभाव

श्री बूटा सिंह ने कहा कि छठी योजना का महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी के अनुपात में उल्लेखनीय कमी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1977-78 में गरीबी का अनुपात 51.2 प्रतिशत से घट कर 1983-84 में 40.4 प्रतिशत रह गया।

## नई तीन पक्षीय कार्यनीति

मंत्री महोदय ने कहा कि सातवीं योजना में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए एक तीन पक्षीय कार्यनीति विकसित की गई है। मंत्री महोदय ने कहा कि आयोजना, डिजाइन और विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तथा गरीबी दूर करने के लिए कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वाले लोगों का चयन करने और रोजगार कार्यक्रम में जनता के प्रतिनिधियों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में पंचायती राज की संस्थाओं को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है तथा उन्हें इन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

मंत्री महोदय ने कहा कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत 4,800 रुपये की वार्षिक आय वाले गरीबों में भी सबसे गरीब परिवारों का पता लगाया जाएगा। जबकि 6,400 रुपये की वार्षिक आय वाले परिवार गरीबी की रेखा से नीचे माने जाते हैं।

जहां तक मजदूरी वाले रोजगार कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, अधिक समय तक रोजगार उपलब्ध कराने वाले और काफी समय तक आय देने की क्षमता वाले कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए श्रम प्रधान परियोजनाओं का चयन किया जाएगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी के लिए कुल आबंटन की 20 प्रतिशत राशि की व्यवस्था की जाएगी। प्राथमिक क्षेत्रों के विकास के एक भाग के रूप में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपये की लागत से आवासों और छोटे आवासों के निर्माण का एक बड़ा कार्यक्रम शुरु किया गया है।

## अनाज का आबंटन

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान वर्ष के दौरान 10 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं के आबंटन की चर्चा करते हुए श्री बूटा सिंह ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से बल देकर कहा कि वे कार्ययोजनाएं तैयार करें जिससे ग्रामीण इलाकों के गरीब लोगों को सस्ता अनाज उपलब्ध हो सके।

मंत्री महोदय ने कहा कि 36 जिलों के 72 खंडों में प्रति माह मूल्यांकन का कार्य शुरु किया गया है। इसकी पहली रिपोर्ट अगले महीने तक, उपलब्ध हो जाएगी। □

# कुरुक्षेत्र

**ग्रामीण विकास का प्रमुख मासिक**

वर्ष 31 पौष-माघ 1907 अंक 3


**इस अंक में** **पृष्ठ संख्या**


मध्य प्रदेश में आदिवासी शिक्षा 2
**विनोद गुप्ता**

खुशहाली के बीज वट वृक्ष बने 5
**राजेश कुमार दुबे**

जनजाति विकास के नए आयाम 6
**हरिराम विश्नोई**

विरासत (कविता) 7
**हृदयेश पाण्डेय**

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा उदयपुर के आदिवासी इलाके में सिंचाई विकास 8
**विवेक भारती**

राजस्थान के आदिवासी : अब कुशल मछुआरे 10
**अशोक कुमार यादव**

गोबर गैस : भारतीय कृषकों तथा ग्रामीणों के लिए ऊर्जा का एकमात्र सस्ता विकल्प 15
**डॉ० अजित कुमार गौड़**

गांवों में नयी भोर की नयी किरण 20

बदलता गांव 22
**नीलम लूथरा**

गुणकारी लौंग 24
**सुशीला मेहता**

गजल 25
**अनिल पठानकोटी**

यों काया पलट किया दरिद्र पहाड़िया लोगों का कोरैया पहाड़िया ग्राम सभा संगठन ने 26

उत्तर प्रदेश में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना—सितम्बर 1985 तक की प्रगति रिपोर्ट 28

राष्ट्रीय नव-निर्माण में ग्रामीण पुस्तकालयों की भूमिका 30
**कृष्णा मुरारी**

गुलाब (कविता) आवरण पृष्ठ 4
**राम निवास शर्मा मयंक**


'**कुरुक्षेत्र**' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

●


'**कुरुक्षेत्र**' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

**दूरभाष : 382406**

**एक प्रति : 1.50 रु०**
**वार्षिक चन्दा : 15 रु०**

**व्यापार व्यवस्थापक : लेख राज बत्रा**
**सहायक व्यापार व्यवस्थापक : एडवर्ड बेक**
**सहायक निदेशक (उत्पादन) :**
**आर० एस० मुंजाल**

**सम्पादक** : जयन्त जहांगीर सिंह
**उपसम्पादक** : घनश्याम मीणा
**आवरण पृष्ठ** : मेघजी परमार

# मध्य प्रदेश में आदिवासी शिक्षा

## विनोद गुप्ता

अफ्रीका के पश्चात सर्वाधिक आदिवासी भारत में रहते हैं। देश के आदिवासियों का अधिकांश भाग मध्यप्रदेश अपनी गोद में समाए हुए है। भारत का हर पांचवा आदिवासी मध्यप्रदेश में है जबकि मध्यप्रदेश का हर चौथा व्यक्ति आदिवासी है। किंतु जहां तक प्रदेश के आदिवासियों की शैक्षणिक स्थिति का प्रश्न है, वह बहुत पिछड़ी हुई है और वे आज भी अंधकार में डूबे हुए हैं। अंधकार से प्रकाश में लाने तथा उन्हें शिक्षित करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के व्यापक प्रयास जारी हैं।

1981 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में आदिवासियों की संख्या 1,19,87,031 थी जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 22.97 प्रतिशत होती है। साक्षरता की दृष्टि से मध्यप्रदेश वैसे ही बहुत पीछे है। अत: आदिवासियों में साक्षरता का ऊंचा प्रतिशत होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। 1981 की जनगणना में अखिल भारतीय स्तर पर साक्षरता का प्रतिशत 36.23 था जबकि मध्यप्रदेश में साक्षरता का यह प्रतिशत 25.82 प्रतिशत ही था। रही बात आदिवासियों में साक्षरता की, सो प्रदेश के केवल 10.68 प्रतिशत आदिवासी ही साक्षर हैं। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों की साक्षरता 16.35 प्रतिशत है। प्रदेश में आदिवासी महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत तो मात्र 3.60 ही है जबकि अखिल भारतीय स्तर पर 8.04 प्रतिशत आदिवासी महिलाएं साक्षर हैं। राज्य शासन द्वारा आदिवासियों को अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि वे पढ़ लिख कर अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सकें।

शिक्षा के अभाव में प्रदेश के आदिवासी कूपमंडूक बने हुए हैं। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उन्नति तो बहुत दूर की बात है। परिणामस्वरूप वे राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ नहीं सके हैं और अलग थलग पड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी मुख्यत: खेती या वनोपज के माध्यम से ही जीवन यापन करते हैं। अशिक्षित होने की वजह से उन्हें पग पग पर ठगा जाता है। अशिक्षा और अज्ञानता के कारण उन्हें अपने अधिकारों का भी आभास नहीं होता। आदिवासियों की दशा सुधारने का एक ही रास्ता है कि उन्हें शिक्षित किया जाए। जब तक इन्हें शिक्षित नहीं किया जाता तब तक वे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े ही रहेंगे। यह एक संतोष का विषय है कि राज्य सरकार आदिवासियों के शैक्षणिक उत्थान के लिए कृतसंकल्प है और इसके लिए विशेष योजनाएं भी चला रही है। परिणाम स्वरूप आदिवासियों के शैक्षणिक स्तर में कुछ बदलाव अवश्य हुआ है।

नए मध्यप्रदेश के गठन के बाद में ही राज्य शासन आदिवासियों का शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्नशील है। हरिजन/आदिवासियों की विशेष समस्या को ध्यान में रखते हुए उनकी स्कूली शिक्षा का भार आदिम जाति कल्याण विभाग को सौंपा गया है। 1964-65 से शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग दोनों मिलकर आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था की दृष्टि से प्रदेश को शैक्षिक जिलों में बांटा गया है जिनमें से 26 शैक्षिक जिले आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।

आदिवासी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की तरफ आकर्षित करने और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए ज़रूरी है कि उनका स्कूल घर से अधिक दूर न हो। अन्यथा बच्चे अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं इसके लिए सरकार यह प्रयत्न कर रही है कि किसी भी बच्चे को पढ़ने के लिए एक किलोमीटर से अधिक न चलना पड़े। इसी प्रकार तीन किलोमीटर क्षेत्र में माध्यमिक स्कूल स्थापित करने की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए स्कूलों की संख्या में भारी विस्तार करना पड़ा है।

आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की रोशनी फैलाने के लिए शिक्षण संस्थाओं का व्यापक जाल फैलाया गया है। 1956 में प्रदेश में हरिजन/आदिवासियों के लिए 800 प्राथमिक, 71 माध्यमिक तथा केवल 2 उच्चतर माध्यमिक शालाएं थीं जो बढ़कर 1985 में 14297 प्राथमिक, 2666 माध्यमिक तथा 453 उच्चतर माध्यमिक शालाएं हो गई हैं। इसके अतिरिक्त 60 उच्चतर माध्यमिक शालाएं हैं जिनमें प्रतिभाशाली आदिवासी छात्रों को उनकी गुणवत्ता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। कन्या शिक्षा

को प्रोत्साहित करने के लिए चार कन्या शिक्षा परिसर भी खोले गए हैं तथा प्रदेश में एक गुरुकुल विद्यालय भी है।

आदिवासी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा का फैलाव करने के उद्देश्य से आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में 24 महाविद्यालय भी खोले गए हैं तथा बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय भी खोला गया है जिसमें आदिवासी क्षेत्रों की प्रगति और उनकी समस्याओं से संबद्ध मुद्दों के अध्ययन एवं अनुसंधान पर विशेष बल दिया जाता है।

राज्य शासन द्वारा हरिजनों और आदिवासियों को शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुविधाएं देने से छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। 1956-57 में स्कूलों में पढ़ने वाले हरिजन/आदिवासी छात्रों की कुल संख्या 3.56 लाख थी। जिसमें से 2. 92 लाख प्राथमिक विद्यालयों में, 0.54 लाख माध्यमिक विद्यालयों में तथा 0.90 लाख उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन करते थे। 1981-82 में स्कूलों में पढ़ने वाले हरिजन/आदिवासियों की संख्या बढ़कर 16.49 लाख हो गई। जिसमें 12.63 लाख प्राथमिक, 2.79 लाख माध्यमिक तथा 1.08 लाख उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्र थे। अनुमान है कि 1985 में ऐसे छात्रों की संख्या 20 लाख तक पहुंच गई है जिसमें 14 लाख प्राथमिक, 4 लाख माध्यमिक तथा 2 लाख उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्र हैं।

हरिजन-आदिवासी छात्र छात्राएं स्कूल की चार दीवारी लांघ कर अब कालेजों में पहुंचने लगे हैं। कला, वाणिज्य और विज्ञान विषयों के अलावा भी मेडिकल और इंजीनियरिंग में इनकी संख्या बढ़ना निश्चित ही एक अच्छी बात है। अनेक स्थानों पर इस वर्ग के छात्रों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा में बैठने हेतु पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को सामान्य विद्यालयों के समकक्ष लाने के लिए महाविद्यालयों में शैक्षणिक स्तर उन्न्यन पाठ्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इससे आदिवासी छात्रों को एक दिन में दो बार अध्ययन करने का अवसर मिलता हैं। यह योजना काफी सफल रही है और छात्रों का स्तर की ऊंचा उठा है।

हरिजन-आदिवासी छात्रों की आवास की व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि वे अपने घर से दूर अन्यत्र अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। 1956 में इनके लिए 8 छात्रावास थे जो बढ़कर 1983 में 2013 तथा 1985 में 2100 हो गए। वर्तमान में आदिवासी क्षेत्रों में 1532 पूर्व माध्यमिक और 68 मेट्रिकोत्तर छात्रावास हैं। जिनमें क्रमश: 36827 और 3400 आदिवासी छात्रों की आवास व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त 231 आश्रम शालाएं भी हैं जिनमें 6540 छात्राओं के लिए आवास व्यवस्था हैं।

राज्य के आदिवासी अंचलों में स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से शासकीय महाविद्यालयों को शैक्षिक नेतृत्व का भार सौंपा गया है जिसे एकेडेमिक लिंकेज प्रोग्राम कहा जाता है। इन महाविद्यालयों द्वारा समीपस्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से तालमेल कर शैक्षणिक नेतृत्व की योजना पर अमल किया जा रहा है।

राज्यों की शालाओं में बुक बैंक योजना 1965 से लागू की गई हैं। इसमें आदिवासी छात्रों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती है। लड़कियों को एक-एक जोड़ा गणवेश भी मुफ्त में दिया जाता है ताकि वे वर्ष भर शालाओं में उपस्थित होती रहें। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ने वाले छात्रों को दोपहर का भोजन नि:शुल्क प्रदान किया जाता है जिससे छठी योजना में कोई 50 लाख छात्र छात्राएं लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा 1983 में 181000 हरिजन-आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई जबकि 1956 में इस वर्ग के छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 141212 थी। कॉलेज स्तर पर भी आदिवासी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है ताकि वे अपना उच्च अध्ययन पूरा कर सकें।

पढ़ाई के साथ साथ आदिवासी छात्रों की शारीरिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए खेल परिसरों की स्थापना और खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। आदिवासी छात्रों की विभिन्न खेलकूदों में रुचि तथा उनकी खेल प्रतिभा का विकास करने के लिए प्रदेश में 221 खेल परिसर चलाए जा रहे हैं। इन परिसरों में चुने हुए छात्रों के लिए पृथक से छात्रावास भी है। उन्हें पौष्टिक भोजन कराने के उद्देश्य से माध्यमिक स्तर के परिसर में खिलाड़ियों को 30 रुपए की, उच्चतर माध्यमिक स्तर के खिलाड़ियों को 60 रु० प्रतिमाह विशेष छात्रवृत्ति दी जाती है।

गरीबी या अन्य किसी कारण से जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके होते हैं उनके लिए औपचारिकेतर केन्द्र चलाए जा रहे हैं। आदिवासी बच्चों की संभव सुविधा का ध्यान रखा जाता है। 1983-84 में 7672 केन्द्र आदिवासी क्षेत्रों में चलाए जा रहे थे। आदिवासी बच्चों को उन्हीं की बोली में पढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं जिसके लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हैं। स्कूलों में आवश्यक साज सामान की उपलब्धि पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। आदिवासी क्षेत्रों में पढ़ो और कमाओ योजना लागू की गई थी जो काफी सफल रही तथा छात्रों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना जागृत हुई। प्रदेश की छठी पंचवर्षीय योजना में आदिवासी उत्थान कार्यक्रम के तहत शिक्षा के विस्तार पर 469.87 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान था।

आदिवासियों के उत्थान हेतु सरकार विशेष योजनाएं क्रियान्वित करती है और उन पर भारी खर्च भी लेकिन इन सबके बावजूद भी वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है कि ढेर सारी सुविधाओं के बावजूद आदिवासी छात्र शिक्षा के प्रति आकर्षित क्यों नहीं हैं? यह भी

संभव हैं उनके लिए बनाई गई योजनाओं का पूरा लाभ उन्हें नहीं मिल पाता हो। आदिवासी शिक्षा के प्रति रुचि रखें इसके लिए जरूरी है कि उनकी शिक्षा किताबी न हो बल्कि पाठ्यक्रम रुचिकर हो जो उनके जनजीवन को छूता हो। आदिवासी क्षेत्रों में उन्हीं शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाए जो उनकी भाषा में पढ़ा सकते हों।

तालिका-1
अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों की बढ़ती संख्या
(छात्र संख्या लाखों में)

| वर्ष | प्राथमिक स्तर | माध्यमिक स्तर | उच्चतर माध्यमिक स्तर |
|---|---|---|---|
| 1956-57 | 2.92 | 0.54 | 0.10 |
| 1960-61 | 3.53 | 0.71 | 0.81 |
| 1965-66 | 6.57 | 1.25 | 0.50 |
| 1973-74 | 10.17 | 1.65 | 0.67 |
| 1979-80 | 11.18 | 2.54 | 0.96 |
| 1981-82 | 12.63 | 2.78 | 1.08 |

तालिका-2
आदिवासी क्षेत्रों में शालाओं की बढ़ती संख्या

| वर्ष | प्राथमिक शालाएं | माध्यमिक शालाएं | उच्चतर माध्यमिक शालाएं |
|---|---|---|---|
| 1956 | 800 | 71 | 2 |
| 1981 | 13497 | 2295 | 342 |
| 1983 | 13997 | 2516 | 413 |
| 1985 | 14297 | 2666 | 453 |

तालिका-3
आदिवासी क्षेत्रों में आवास सुविधाएं

| आवास व्यवस्था का स्वरूप | छात्रों की संख्या |
|---|---|
| 1532 पूर्व माध्यमिक छात्रावास | 36827 |
| 68 मैट्रिकोत्तर छात्रावास | 3400 |
| 231 आश्रम शालाएं | 6540 |

आदिवासी बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने के लिए उनके अभिभावकों को शिक्षा का महत्व समझाना चाहिए। आदिवासी क्षेत्रों के स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों पर भी कड़ी नजर रखनी होगी कि वे नियमित रूप से पढ़ाते हैं या नहीं?□

**दीपक निवास, 156 महात्मा गांधी मार्ग, बड़वानी 451551 (म० प्र०)**

# उत्तर प्रदेश में गरीब परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना

उत्तर प्रदेश के 12 जिलों (गोरखपुर, बस्ती, इलाहाबाद, देवरिया, वाराणसी, गोण्डा, कानपुर, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, रायबरेली, अल्मोड़ा, बांदा) में गरीब परिवारों के लिए भारत सरकार ने 15 अगस्त, 1985 से सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना स्वीकृत की है।

यह योजना भारतीय साधारण बीमा निगम एवं इसकी सहायक कम्पनियों के माध्यम से लागू होगी।

राज्य के उन समस्त भूमिहीन मजदूरों, लघु/सीमान्त किसानों परम्परागत कारीगरों/दस्तकारों, शहरों में छोटे काम-धंधे (उत्पादक या व्यापार या परिवहन आदि) करने वालों, घरेलू नौकरों तथा अन्य नौकरियों में लगे लोगों पर यह योजना लागू होती है जिनके परिवारों की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय 5,000 रुपये से अधिक न हो।

आय-सीमा के लिए एक परिवार से अभिप्राय है पति, पत्नी एवं उन पर निर्भर सन्तान। यदि एक से अधिक परिवार "हिन्दू अविभक्त परिवार" के रूप में रह रहे हैं तो आय-सीमा की दृष्टि से प्रत्येक परिवार को अलग-अलग गिना जाएगा।

उपरिवर्णित परिवारों के ऐसे पुरुष/महिला सदस्यों का बीमा किया जाएगा जो परिवार के कमाने वाले सदस्य हैं तथा जो 18 वर्ष की आयु से अधिक किन्तु 55 वर्ष की आयु से कम हैं।

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके अन्तर्गत बीमा कराने वाले समस्त व्यक्तियों की किश्त भारत सरकार अदा करेगी और बीमा कराने वाले व्यक्ति को किश्त का कोई अंश/भाग नहीं देना होगा।

इस योजना का उद्देश्य है उपरिवर्णित गरीब परिवारों की सहायता करना अर्थात उनके कमाने वाले सदस्य की किसी ऐसी दुर्घटना में, जिसका कारण बाह्य हिंसा एवं दृश्यमान साधन/माध्यम हों, मृत्यु हो जाने पर उस सदस्य के आश्रित/आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में बीमा कम्पनी 3,000 रुपये देगी। यह मृत्यु दुर्घटना की तारीख से 6 माह के भीतर होनी चाहिए तथा दुर्घटना इस मृत्यु का एकमात्र एवं प्रत्यक्ष कारण होनी चाहिए।

यह योजना गरीब परिवारों को उनके संकट काल में आर्थिक सहायता पहुंचा कर उनके लिए एक वरदान सिद्ध होगी। □

# खुशहाली के बीज बट वृक्ष बने

## राजेश कुमार दुबे

विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के निकटस्थ बसे छोटे से ग्राम खिलचीपुरा में 38 वर्षीय रामचन्द्र पिता नारायणजी माली भी निवास करते हैं। जिनके परिवार में माताजी, पत्नी व छोटे-छोटे चार बच्चे हैं। चारों नन्हें मुन्ने बालकों की शिक्षा व स्वस्थ वातावरण में पालन-पोषण कर उनके जीवन खुशहाल बनाने हेतु रामचन्द्र दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। वे रोज प्रातः से लेकर रात्रि तक खिलचीपुरा ग्राम में ग्रामवासियों की साइकलें सुधारते हैं। इस सबके पश्चात् प्रतिदिन वे मात्र 5-6 रुपये ही कमा पाते हैं जिससे अपनी इच्छानुसार वे अपने बच्चों का लालन-पालन नहीं कर पाते। दिनों दिन उनके मन में एक ही चिन्ता व्याप्त होने लगी कि रोजी-रोटी हेतु व्यवसाय में वृद्धिकर पैसा कमाना होगा अन्यथा परिवार की खुशहाली किसी भी क्षण नष्ट हो सकती हैं। एक दिन प्रातः उठते ही श्री रामचन्द्रन अपने ज्येष्ठ भ्राता की मन्दसौर, नई आबादी स्थित दूकान राम साइकल स्टोर्स पर पहुंचे व अपने अग्रज को बताया कि वर्तमान में मेरा साइकल व्यवसाय ग्राम में पर्याप्त रूप से नहीं चल रहा है अतः मैं कुछ दिनों आपके साथ में काम सीखकर साइकल रिपेरिंग कार्य में निपुणता व विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहता हूं। छोटे भाई के इस मार्मिक निवेदन को सहर्ष स्वीकार कर उसे उसी क्षण से काम में लगा दिया। इस प्रकार सप्ताह व कई महिने बीत गये। प्रशिक्षण प्राप्त करते करते रामचन्द्रन स्वयं एक सिद्धहस्त साइकल सुधारक बन गये और अपने भाई के व्यवसाय में आर्थिक मदद पहुंचाने लगे।

गत वर्ष रामचन्द्र के वृद्ध पिताजी का दुःखद अवसान हो गया। अब सारे परिवार की जिम्मेदारी उनके दुर्बल कन्धों पर आ गई। एक दिन रामचन्द्र ने स्वयं की दूकान खोलने की कल्पना मन में जागृत की व प्रगति के कल्पलोक में खो गए। इतना ही नहीं परमेश्वर ने भी उनके सपने को साकार करने का आशीष दिया। फिर क्या था, रामचन्द्र मन्दसौर विकासखण्ड में पहुंचे जहां उनकी भेंट ग्रामसेवक शरद सराफ से हुई। उन्होंने अपनी सुनहरी कल्पनाओं को मूर्त रूप दिये जाने हेतु अपने अरमान उनके समक्ष रखे। रामचन्द्र के आत्मविश्वास व दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रभावित होकर सराफ ने "एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम" के बारे में विस्तार से चर्चा कर उन्हें ऋण लेने हेतु प्रेरित कर नई आबादी स्थित स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर की शाखा ले गये, जहां उनका साइकल व्यवसाय हेतु 5000/- रु० का ऋण प्रकरण तैयार किया। उनकी ऋण राशि पर जमानत नगर के प्रसिद्ध व्यवसायी श्री सनतकुमार सेठी ने दे दी व उनको 5000/- रु० का ऋण स्वीकृत हो गया। एक सप्ताह के भीतर खिलचीपुरा में दूकान डाल दी लेकिन पूर्व की भांति दूकान पर्याप्त नहीं चलती। मात्र 5-6 रुपये की रोजाना आमदनी ने रामचन्द्र को चिंतित कर दिया। अनेक शुभ चिन्तकों ने उन्हें ग्राम छोड़ शहर में धन्धा प्रारंभ करने की नेक सलाह दी जो कि रामचन्द्र को रास आ गई।

नई आबादी, कोतवाली के सामने पटवा अभिकरण के समीप ही 10×10 की पक्की दूकान रामचन्द्र ने 200/- रुपये मासिक की दर से किराये पर प्राप्त कर अपने आराध्य देव के नाम पर "जय श्री राम साइकल स्टोर्स" के नाम पर प्रारंभ कर दी जो कि धीरे-धीरे अपने परिचितों व प्रशंसकों में लोकप्रिय के शिखर पर पहुंच गई। अपनी दूकान पर रामचन्द्र आने वाले प्रत्येक ग्राहक को पूज्य सम्मान देकर उसके मन में विशिष्ट स्थान बना लेते हैं। वे नाम मात्र की रिपेरिंग राशि लेकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। किराये की 12 साइकल जरूर वे 80 पैसे प्रति घंटे के मान से किराये पर देते हैं, जिससे वे संयुक्त रूप से वर्तमान में 40-50 रुपये प्रतिदिन कमा लेते हैं। साथ में एक श्रमिक सहयोगी भी है जिसे वे 250/- मासिक पारिश्रमिक देते हैं। वे दोनों समतुल्य होकर कोई 12-14 घंटे कार्य नियमित करते हैं।

रामचन्द्र ने वर्तमान में अपनी 5000/- रु० की ऋण राशि में से 4500/- रु० की अदायगी कर दी हैं तथा शेष राशि शीघ्र जमा करने हेतु प्रयासरत हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को रामचन्द्र सर्वहारा वर्ग के जीवन में आत्म निर्भरता की सुनहरी किरण मानते हैं। उनका कहना है कि आई०आर०डी० योजना ने मेरी तरह सैकड़ों परिवारों में खुशहाली के बीज बोये हैं जो कि वटवृक्ष का रूप धारण कर घर घर में खुशहाली व प्रगति की सफल दास्तान कह अन्यों को आत्म निर्भरता हेतु आमंत्रित कर रहे हैं। □

**स्टेशन रोड़, पोस्ट ऑफिस के पास**
**मन्दसौर (म०प्र०)**

उत्तर प्रदेश में

# जनजाति विकास के नए आयाम

हरिराम विश्नोई

उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनके शुभ परिणाम अब इस रूप में सामने आ रहे हैं कि वहां धीरे-धीरे पूरी तरह से खुशहाली छा रही है तथा प्रगति के संकेत इस बात को सार्थक कर रहे हैं कि अब वह दिन दूर नहीं, जबकि ग्रामीण समाज और खास कर पिछड़े हुए क्षेत्रों में नया सवेरा होगा।

उत्तर प्रदेश के गोंडा, बहराइच तथा गोरखपुर जनपदों के तराई क्षेत्र में 25 हजार से भी अधिक थारु जनजाति के लोग बसे हैं, जो मुख्यत: खेती का धंधा करते हैं। कुछ क्षेत्रों में मजदूरी करके भी थारु लोग अपनी जीविका चलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पिछड़ापन अभी उनके साथ अवश्य है। लेकिन कुछ साल पहले जैसी बदतर स्थिति नहीं है। क्योंकि जहां एक ओर उन्होंने खुद बदलाव लाने का प्रयत्न किया है वहीं साथ ही साथ उनके विकासार्थ चलाए जा रहे सरकारी कार्यक्रमों तथा योजनाओं का भरपूर लाभ भी उन्हें मिल रहा है, जिसने उन्हें राहत दी है।

एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, थारु विकास निगम तथा नरेन्द्र देवी कृषि एवं औद्योगिक विश्व विद्यालय फैजाबाद की विशेष विकास परियोजना के अन्तर्गत कार्य चल रहा है। इस कृषि विश्वविद्यालय के प्रकार विभाग ने इस क्षेत्र पर किये गए शोध के उपरांत जो योजना बनाई है उसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 11 करोड़ रु. की स्वीकृति प्रदान की है।

इस थारु परियोजना में कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग, मधुमक्खी पालन तथा प्रौढ़शिक्षा जैसी अनेक योजनाओं को तेजी के साथ लागू किया जाएगा। कृषि विकास के लिए सिंचाई के साधन तथा हर प्रकार की सहायता देकर थारुओं को इस योग्य बनाया जा सकेगा कि कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ वे राष्ट्रीय विकास की दिशा में भी अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण सिद्ध कर सकेंगे। ताकि इस क्षेत्र का भी सर्वांगीण विकास हो सके तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने का अवसर मिल सके। वे भी राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो सकें।

2 अगस्त 1975 को कंपनीज़ एक्ट 1956 के तहत तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लि. की स्थापना भी इसी उद्देश्य को लेकर की गयी थी कि जनजातियों का विकास सम्भव हो सके। यही कारण था कि बाद में तराई क्षेत्र के अतिरिक्त मैदानी विकास के कार्य भी इस निगम के कार्य क्षेत्र में सम्मलित कर दिए गए थे। प्रदेश के 11 जनपद, जिनमें अनुसूचित अथवा आदिवासी जातियां रहती हैं इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं।

जनपद रवीरी तथा गोंडा में जनजाति विकास के लिए यह निगम विशेष परियोजनाएं चला रहा है। जिनके अन्तर्गत क्षेत्रीय एवं आर्थिक विकास, मानवीय संसाधन एवं स्थापना विकास तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार की ओर से छठी योजन में 292.21 लाख रु. प्रदान किए गए। जिससे 1043 थारु परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गयी। खीरी परियोजना में जनजाति लोगों के लिए 233 हैंड पंप, 386 आवास, 6 प्राथमिक विद्यालय, 22 कि.मी. सड़क निर्माण, 13 विद्यालय भवनों का निर्माण, 2 स्वास्थ्य केन्द्र, 2 गावों में विद्युतीकरण, 8 नलकूप, 69 बोरिंग, 15 सामुदायिक भवनों का निर्माण, 3 पशु चिकित्सा केन्द्र, 23 उपभोक्ता भंडार, 3 सहकारी समितियां (लैंपस), 5 घरेलू बुनाई कढ़ाई प्रशिक्षण केन्द्र, 2 चिकन केन्द्र खोले गए तथा काष्ठकला में 107 तथा कालीन बुनाई में 25 युवकों को रोजगार प्रशिक्षण दिया गया, ताकि वे आत्मनिर्भर हो सकें।

इसी प्रकार गोंडा परियोजना में एक-एक जन तथा पशु चिकित्सालय, 5 बालबाड़ी, 102 आवास, 14 गावों में बिजली, 3 बधियां, 60 पंपसेट, 10 बोरिंग, 5 सामुदायिक भवन, 99 हैंड पंप, 16 कुएं, 33 कर्मचारी आवास बनाए गए।

थारु एवं बोक्सा जन जातियों के आर्थिक विकास हेतु बिजनौर, बहराइच तथा गोरखपुर जिलों में कृषि, बागवानी एवं अन्य कुटीर उद्योगों के लिए 12153 लोगों को लाभान्वित किया गया। बनारस, इलाहाबाद, मिर्जापुर, झांसी, बांदा एवं ललितपुर आदि पूर्वी जिलों में रहने वाली जन जातियों के लिए भी अनेक विकास कार्यक्रम लागू किए गए जिनसे 2,1800 आदिवासियों को लाभ पहुंचा

साथ ही विमुक्त जन जातियों के आर्थिक विकासार्थ प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। बदायूं में टंकण तथा लालगंज में एक प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र स्थापित किया गया है।

जनजाति के लोगों को कृषि वन उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा मुनाफाखोरों के शोषण से बचाने के लिए खीरी, बांदा तथा मिर्जापुर में सरकारी खरीद का कार्य भी किया जाता है। इसके अलावा सामूहिक डेरी एवं मुर्गीपालन का कार्यक्रम भी शीघ्र शुरु किया जाएगा।

इलाहाबाद, मिर्जापुर एवं बांदा में भी विकास की पृथक योजनाएं शुरु की जाएंगी तथा निकट भविष्य में जन जातियों के शोध, सर्वेक्षण, अनुश्रवण तथा मुल्यांकन के लिए उत्तर प्रदेश में एक अनुसूचित जन जाति शोध संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव भी राज्य सरकार के विचाराधीन है। हाल ही में उ.प्र. सरकार ने अनु. जन जातियों के विकास की गति तेज एवं नियोजित करने के उद्देश्य से प्रथक जन जाति निदेशालय की स्थापना भी की है।

पर्वतीय क्षेत्रों की अनुसूचित जन जातियों के लिए परिवारोन्मुखी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ताकि समाजार्थिक विकास का कार्य शीघ्र सम्भव हो सके। देहरादून, टिहरी, उत्तर काशी, चमोली, नैनीताल तथा पिथोरागढ़ जनपदों में वर्ष 1975-76 से जन जाति बाहुल्य के विकास खंडों में विकास हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। आई.टी.टी.पी. (एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाएं) भी जनजाति उपयोजना में चल रही हैं। इनमें निर्धारित कुल परिव्यय में से पृथक धनराशि का आबंटन चुने हुए विकास खंडों के लिए किया जाता है।

सामान्य कार्यक्रमों के अलावा अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीजों के विनियमन पर सहायता, खाद के कम्पोजिट प्रदर्शन की योजना, उद्यान तथा फलोपयोग के लिए दीर्घ कालीन ऋण तथा 501 अनुदान, सब्जी उत्पादन में प्रोत्साहन, एकीकृत ग्राम्य विकास तथा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, औद्योगिक विकास, विद्युतीकरण एवं लघु सिंचाई हेतु सहायता, निर्बल वर्ग के बच्चों को पाठ्य पुस्तकों, छात्रवृत्ति तथा कृषि, कुटीर एवं आवास हेतु अनुदान, अनौपचारिक एवं प्रौढ़शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य केन्द्र तथा बधुंआ मजदूरों का पुनर्वास का कार्य भी विशेष रूप से जनजाति क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से चलाया जा रहा है।

इन तमाम योजनाबद्ध प्रयासों का ही शुभ परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाली जनजाति परिवारों का भाग्य भी चमक रहा है और वे खुशहाल जिंदगी की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी यह यात्रा निश्चय ही उन क्षेत्रों को नए सिरे से रेखांकित करेगी जो कुछ अरसे पूर्व, तक पिछड़े हुए माने जाते थे। □

**'सहकारिता' साप्ताहिक एवं मासिक**
**यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन,**
**14 विधान सभा मार्ग,**
**लखनऊ।**

---

# विरासत

हम अपने बच्चों को विरासत में
गरीबी, जहालत, भुखमरी और जिल्लत नहीं देंगे,
देंगे उनको मुखों पर एक हंसी और रोशनी,
ताकि वे देख सकें,
खेतों में उगती फसलें
फसलों में सुडौल दाने
और मिला सकें अंगारों में अपनी
मुक्त हंसी,
और परख सकें रोशनी में
जड़ खोद कर डालते हुए विषैली
दवाइयों वाले चेहरे,
नहरों के प्रवाहित होने वाले जल में,
फसलों को कुन्द कर देने वाले मुखौटे,
हम दे जाएंगे उनकी माओं को वो मुख,
जिसमें झांक कर वो पहचान सकें
अपनी अस्मिता,
अपने दर्प को,
अपनी गरिमा को,
जिसने संघर्ष को
वस्त्र माना
और फल को खून,
जिसे देख कर वो कटे
पर बिके नहीं,
जिए पर झुके नहीं,
मरे पर रोए नहीं,
बच्चे जवाब ढूंढ़ लेंगे,
हमारी अर्थी का हिसाब
कर लेंगे।

**हृदयेश पाण्डेय**
**11-बी, रीची रोड,**
**कलकत्ता-700019**

# जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा उदयपुर के आदिवासी इलाके में सिंचाई विकास

विवेक भारती

**मेवाड़ के किसानों ने धरती की युगों युगों की प्यास को बुझाने की पहल की तो एक नया तथ्य उभरा। अंधविश्वासों में पलने वाले सामान्य देहाती तक में बदलते परिवेश के प्रति एक बदलती हुई आस्था उभरी है।**

मेवाड़ की पथरील पहाड़ी भूमि पर जलोत्थान सिंचाई योजनाओं के सूझ बूझ से क्रियान्वयन द्वारा देहाती जनता में समग्र ग्रामीण विकास के प्रति एक आस्था, एक ललक जाग उठी है। यही वह आस्था है, जो ग्रामीण अभ्युत्थान की पहल की नींव कही जा सकती है। सच भी है, यदि पूरे मनोबल से आदमी संकल्पित होकर कुछ करने को जाग उठे तो वाह वाह क्या कहने?

## बदलते विश्वासों की कहानी

'पग पग भम्या पहाड़ धरा छोड़ राख्यो धरम'—जैसी धारणाओं को जीवन मूल्य की तरह जीवन व्यवहार में पालन करने वाले मेवाड़ के किसानों ने धरती की युगों युगों की प्यास को बुझाने की पहल की तो एन नया तथ्य उभरा। अंधविश्वासों में पलने वाले सामान्य देहाती तक में बदलते परिवेश के प्रति एक बदलती हुई आस्था उभरी है।

उदयपुर जिले के आदिवासी बहुल इलाकों में रहने वाले कई ऐसे बारहमासी नाले हैं, जिनके बहते हुए अमृत को कभी संग्रहीत कर उसके समुचित उपयोग पर ध्यान ही नहीं दिया गया था।

सामुदायिक विकास योजनाओं के जरिये जब हर आंख का आंसू पौंछने और प्राकृतिक साधनों के समुचित दोहन की चर्चाएं योजनाएं बनकर आईं तो इन बारहमासी नालों के पानी का सिंचाई के लिए उपयोग करने तथा ऊँचाई पर स्थित जमीन को खेती करने लायक बनाने की समन्वित योजना 1980 में बनाई गई। इसे व्यावहारिक रूप से क्रियान्वित करने के लिए जलोत्थान सिंचाई प्रकोष्ठ स्थापित किया गया।

इस प्रकोष्ठ ने तुरन्त ही इलाके का सर्वेक्षण करके 4 जलोत्थान सिंचाई योजनाएं कानपुर, बेडवास, टाटाबाड़ा मोराना तथा करड़ों का गुड़ा विशिष्ट योजना संगठन, राजस्थान, जयपुर से स्वीकृत करवाकर क्रियान्विति की शुरूआत कर दी गई।

उन्हीं दिनों मुझे सन्दर्भ में श्री गुलाबसिंह शक्तावत ने (जो अब मंत्री है।) बताया था कि उस तरह की योजनाओं के लिए एक विशेष शर्त प्रशासनिक स्तर पर तय है।''

''वह क्या है?''—पूछने पर शक्तावत ने विस्तार से बतलाया था कि कहीं पर भी जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का चयन तभी किया जा सकता है, जबकि उसे योजना के माध्यम में लाभान्वित होने वाले किसानों में से 50 प्रतिशत या उससे भी अधिक किसान लघु या सीमान्त कृषक वर्ग के हों।''

जिज्ञासा जगी कि योजना के लिए ऐसे में आर्थिक संसाधन किस तरह जुटाए जाते हैं तो एक सिंचाई विभाग के अधिकारी ने बतलाया—''इस तरह की जलोत्थान योजनाओं के लिए जिला

ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा आधी राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। यह राशि किसानों को सीधे हाथ में नहीं दी जाकर किसानों की प्रबन्ध समिति के खातों में नजदीक के बैंक में जमा करवा दी जाती है। बाकि राशि कृषकों द्वारा श्रमदान करके पूरी की जाती है। जहाँ यह संभव नहीं हो वहाँ पर बैंक ऋण देकर तथा बाद में किश्तों में वसूल कर योजना को क्रियान्वित करवाता है।''

उदयपुर जिले के टाटवाडा के पास कलजी से इस योजना पर चर्चा चली तो उन्होंने बताया था— ''एक जमानो हो बापजी जद बाया बीज भी होवेला कि नी होवे ला सब भाग भरोसे ही चाल र्यो हो। पणँ अब......।''— कहकर उसने जो मुस्कान चेहरे पर उभारी उसकी अपनी एक अलग ही अनुभूति थी। उसमें बदलते विश्वासी किसान का आत्म विश्वास दमक रहा था।

इसी दौरान श्रीमती इन्दुबाला सुखाड़िया के घर चर्चा करते हुए इस संसद संदस्या ने इस बात पर फख्र भी जाहिर किया कि इन छोटी किन्तु तुरन्त ही कारगर असर बताने वाली योजनाओं की क्रियान्वितियों से ही देश में हरित क्रान्ति सफल हो पाएगी।''

## किसानों की सजगता

पूरे इलाके की विभिन्न योजनाओं पर एक चलती नजर दौड़ाने पर एक विचित्र किन्तु विस्मयकारी सत्य से भी साक्षात्कार हुआ। ठेठ देहात के लोगों में भी ग्रामीण पुनरोत्थान के लिए अब सजगता के दर्शन होते हैं। योजनाओं की सम्पूर्ति के लिए **किसान** अब सिर्फ सरकार के बजट की तरफ ही नहीं देखता बल्कि अपने आस पास के ही हर स्रोत तथा साधन का पूरा इस्तेमाल भी कर रहा है। यह धारणा कोई किस्सा नहीं है। टाटवड़ा, मोराना तथा करड़ों का गुडा जलोत्थान सिंचाई योजनाओं के जरिये लाभान्वित होने वाले किसानों ने कोई भी कर्ज नहीं लेकर यह बतला दिया कि वे अपने ही दम पर हरित क्रांति का स्वप्न पूरा करेंगे। इन किसानों ने स्वयं अपने अर्जित धन, साधनों तथा मजदूरी के रूप में 50 प्रतिशत योजना खर्च वहन किया। एक तथ्य और भी इलाके के सौभाग्य से जुड़ गया तभी कि उसी वर्ष हाक्याबास जलोत्थान सिंचाई योजना भी लागू की गई। इस योजना के लिए वर्ष 1980-81 में अनुदान के रूप में अभिकरण ने 1.81 लाख रुपए उपलब्ध करवाए थे। इस योजना से लगभग 105 लघु एवं सीमान्त वर्ग के किसानों की 74 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो सकीं।

## व्यापक विस्तार योजनाएं

इन कुछ प्रयोगों ने इस तरह की भूमि की प्यास बुझाने वाली योजनाओं के विस्तार के लिए पृष्ठ भूमि तैयार की। इसलिए 81-82 में इस इलाके में कोई 10 और योजनाओं का निर्माण हुआ। इन योजनाओं के माध्यम से 120.96 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध कराई गईं। इन योजनाओं से 173 लघु तथा सीमान्त कृषकों को 4.62 लाख रुपए का अनुदान भी उपलब्ध करा कर काम पूरा कराया गया।

**जलोत्थान योजनाओं के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा आधी राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। यह राशि किसानों को सीधे हाथ में नहीं दी जाकर किसानों की प्रबन्ध समिति के खातों में नजदीक के बैंक में जमा करवा दी जाती है। बाकी राशि कृषकों द्वारा श्रमदान करके पूरी की जाती है। जहां यह संभव नहीं हो वहां पर बैंक ऋण देकर तथा बाद में किश्तों में वसूल कर योजना को क्रियान्वित करवाया जाता है।**

इसी वर्ष दो हाई ड्रम योजनाएं भी पूरी की गई जिनमें पानी के लिए किसी भी बाहरी ऊर्जा यथा पेट्रोल, डीजल, बिजली आदि की आवश्यकता नहीं रहती है। पानी के दबाव में अन्तर के जरिये ही पानी को कई कई फुट ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है। हाईड्रम योजना के अन्तर्गत वर्ष भर बहते रहने वाले नाले के बीच एनिकट बना करके स्थिर पोटेन्शनल हेड उत्पन्न किया जाता है। यह योजनाएं क्षेत्र के पहाड़ी खेतों के लिए बहुत ही कारगर रही है। वर्ष 1982-83 में चार योजनाओं की निर्माण प्रक्रिया पूरी करके 71 लघु तथा सीमान्त कृषकों की 43.05 हैक्टर खेती की भूमि को सिंचाई सुविधा दिलवाई गई।

इन प्रयोगों में अभीय किसानों की रुचि और व्यावहारिक स्तर पर खेती में गुणात्मक परिवर्तन से वर्ष 1983-84 के दौरान ही मोजावतों का गुढ़ा, सकरावास, चतुर्थ दोवड़ जैसी तीन और योजनाएं पूरी करवाई गईं। 8 अन्य योजनाएं पूर्णता के दौर में चल रही हैं। इस तरह जलोत्थान सिंचाई योजनाओं से 172 हैक्टेयर अतिरिक्त खेती की भूमि को पर्याप्त सिंचाई उपलब्ध होने की वजह से 352 कृषक लाभान्वित होंगे।

राजस्थान के पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह भाटी ने कहा—गाँव के हर आदमी को जब तक हर तरह की साधन-सुविधाएं, रोजगार और विकास के अवसर हासिल नहीं हो जाते हमें चैन से नहीं बैठना हैं।'' उनकी इस हक की पूर्ति ऐसी ही किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने वाली छोटी छोटी कारगर योजनाओं की सफलता पर निर्भर हैं। उदयपुर की जलोत्थान योजनाओं की सफलता ग्रामीण अभ्यूदयकारी योजनाओं की पूर्णता तक एक के बाद एक चलने वाली श्रृंखला की कड़ियां हैं। □

**बी. 116 विजयपथ,**
**तिलक नगर,**
**जयपुर-302004**

# राजस्थान के आदिवासी : अब कुशल मछुआरे

**अशोक कुमार यादव**

राजस्थान का दक्षिणी भू-भाग अरावली पर्वत मालाओं से घिरा है। यहीं निवास करती है राजस्थान की अधिकांश जन जाति जनसंख्या। भील, मीणा, गरासिया, डामोर, कथौड़ी आदि यहां की प्रमुख जन जातियां हैं। चित्तोड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व सिरोही जन जाति जनसंख्या बाहुल्य जिले हैं और उनको मिलाकर ही जन जाति उप योजना क्षेत्र घोषित किया गया है। राजस्थान के जन जाति क्षेत्र की आदिवासी जनसंख्या कई समस्याओं से ग्रस्त है। इनकी आर्थिक हालत अत्यंत दयनीय स्थिति में है। खेतों का आकार छोटा होते हुए भी अधिकांश आदिवासी खेती पर निर्भर हैं तो उधर मजूरी करना तथा वनों पर

मत्स्य तौल केन्द्र पर आदिवासी अपनी मछलियों का तौल कराते हुए।

आश्रित रहकर जीवन गुजर बसर करना इनका जीवन है।

यों तो आदिवासियों के कल्याण के लिए राजस्थान के जनजाति उपयोजना क्षेत्र में ढेर सारे विकास कार्यक्रम एवं कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सरकार का प्रयास यही है कि आदिवासियों का आर्थिक स्तर उपर उठे और अन्य जातियों की तरह खुशहाल बनें।

इन्हीं प्रयासों के अन्तर्गत राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ का एक सफल प्रयास आदिवासियों को मत्स्य आखेट का धंधा उपलब्ध कराके इसे जीवन यापन का साधन बनाना है। राजस्थान के जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जय समन्द, माही-बजाज सागर तथा कडाना जैसे बड़े जलाशय उपलब्ध हैं। इन जलाशयों में प्रति वर्ष सैंकड़ों टन मछलियां पकड़ी जाती हैं। इन मछलियों की बम्बई, दिल्ली व कलकत्ता के बाजारों में मांग भी बहुत अधिक है। इन जलाशयों को राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ ने राज्य सरकार से लीज पर मत्स्य आखेट के लिए अपने अधिकार में ले लिया है। इनमें राजस संघ अब आदिवासियों से ही मछलियां पकड़वाता है व उनके द्वारा पकड़ी गयी मछलियों का सही तौल कर मोल प्रदान करता है।

राजस संघ द्वारा इन जलाशयों को अपने अधिकार में लेने से पूर्व इनमें ठेकेदार बाहरी व्यक्तियों को बुलवाकर मत्स्य आखेट कार्य कराते थे जिससे इन जलाशयों के किनारे बसने वाले आदिवासी मजदूरी से वंचित रहते थे। अगर ठेकेदारों को जरुरत पड़ गई और आदिवासियों को मत्स्य आखेट कार्य पर लगा लिया तो उसको कम मजदूरी प्रदान कर उसका शोषण किया जाता था। राजस संघ द्वारा 1977-78 से जय समन्द तथा वर्ष 1981-82 से माही एवं कडाना जलाशयों को अपने अधिकार में लिये जाने के बाद तो जहां आदिवासियों को मत्स्य आखेट कार्य से पर्याप्त रोजगार मिल रहा है वहां वे शोषित कुण्ठित वातावरण से मुक्त होकर सुनहरे जीवन के गीत गुन-गुनाने लगे हैं।

जय समन्द संसार की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है जो उदयपुर से 32 मील दूर स्थित है। पहाड़ियों से घिरी यह झील9 मील लम्बी, 6 मील चौड़ी और 102 फीट गहरी है। तीस मील के घेरे में फैली इस झील का क्षेत्रफल 21 वर्ग मील है जिसमें 20 हजार मिलीयन घन फीट पानी समाता है। झील के भराव क्षेत्र में कई टापू हैं जो मत्स्य आखेट कार्य में सहायक हैं। इसके अथाह पानी से पलने वाली मछलियां इतनी प्रसिद्ध हैं कि कलकत्ता जैसे महानगर में भी जय समन्द की मछलियों के लिए अलग से बाजार बना है।

माही-बजाज सागर बहुद्देशीय परियोजना राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र की हरित क्रांति का आधार है तो कडाना बांध का आधा जलग्रहण क्षेत्र राजस्थान के डूंगरपुर जिले में आता है।

इन तीनों जलाशयों में से जय समन्द में 7 हजार 820 हैक्टेयर, माही-बजाज सागर में 13 हजार हैक्टेयर तथा कडाना जलाशय में

**जितनी बड़ी मछली उतना ही मोल**

9 हजार हैक्टेयर क्षेत्र मछली पकड़ने के लिए उपलब्ध है।

राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ ने इन जलाशयों को अपने अधिकार में लेने के पश्चात् इनके किनारे रहने वाले आदिवासियों जिनमें भील-मीणा जनजातियां प्रमुख है कि मत्स्य उत्पादक सहकारी समितियां गठित करायी हैं व आदिवासियों को इनका सदस्य बनाया गया है। आदिवासी मत्स्य आखेट से बिल्कुल अनभिज्ञ ही थे अतः राजस संघ ने सर्वप्रथम उन्हें मत्स्य आखेट का प्रशिक्षण दिलवाया। अब इन तीनों जलाशयों में एक हजार 475 आदिवासी मत्स्य आखेट कार्यों में पूर्ण दक्ष हैं तथा वे यह जानते हैं कि अधिक मछलियां किस प्रकार से पकड़ी जाती हैं। सहकारी समितियों के सदस्यों को राजस संघ ने मत्स्य आखेट के उपकरण नाव एवं जाल अनुदान एवं ऋण सहायता पर उपलब्ध कराये हैं। अब भी मत्स्य आखेट उपकरणों के लिए विभेदक ब्याज पर 4 प्रतिशत पर ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। जय समन्द जलाशय में मछली पकड़ने वाले 224 तथा माही एवं कडाना जलाशयों में 174 आदिवासियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है और आज उनके पास अपनी ही नाव और जाल हैं। इसी तरह अन्य सदस्यों ने भी जाल लिये हैं।

वर्तमान में आदिवासियों की जय समन्द में 6 कडाना में 8 तथा माही-बजाज सागर में चार मत्स्य उत्पादक समितियां सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं जिनके क्रमशः 699, 849 व 247 आदिवासी सदस्य हैं।

## जितनी बड़ी मछली उतना ही मोल

राजस संघ मछली पकड़ने का कार्य आदिवासियों की सहकारी समितियों के माध्यम से कराता है। ये सहकारी समितियां मछली पकड़कर राजस संघ को बेचती हैं, बदले में राजस संघ अच्छे दाम देकर मछलियों को खरीदता है। राजस संघ ने तीनों जलाशयों पर मछली तौल केन्द्र व संग्रहण केन्द्र बना रखे हैं। प्रक्रिया के अनुसार आदिवासी सदस्य प्रतिदिन मछलियां पकड़ते हैं। मछलियों का तौल कराते हैं। समिति का व्यवस्थापक प्रत्येक सदस्य के द्वारा पकड़ी गयी मछलियों का हिसाब रखता है। राजस संघ इन मछलियों को खरीदकर समितियों को माह में दो बार रोकड़ी भुगतान करता है। आदिवासी सदस्यों को भी उनकी मछलियों का भुगतान अपनी देख रेख में कराता है। इन जलाशयों से उत्पादित होने वाली मछलियों को राजस संघ ने चार श्रेणियों में बांट रखा है। इन श्रेणियों के आधार पर ही आदिवासियों को उनके द्वारा पकड़ी गयी मछलियों का मोल मिलता है। वर्तमान में राजस संघ की विभिन्न किस्मों की मछलियों की प्रति किलोग्राम क्रय दरें निम्न प्रकार हैं:—

| क्र०सं० | श्रेणी | विवरण (मछलियों का प्रकार) | क्रय दरें (रु० प्र० कि०ग्रा०) |
|---|---|---|---|
| 1. | अ | कतला 5 किलो से ऊपर | रु० 6.20 |
| 2. | ब | मेजर कार्प (रहु, मृगल, मांशोरकाल वसु आदि) 4 किलो तक एवं इससे ऊपर | रु० 3.20 से रु० 3.60 तक |
| 3. | स | मेजर कार्प केट फिश (2 किलो से 4 किलो तक) | रु० 3.20 से रु० 3.60 तक |
| 4. | द | अन्य मछलियां (पुट्ठी, पतौला, सरसी, ममोला, सेवत, सिंघाड़ा आदि छोटे किस्म की मछलियां) | रु० 2.00 से रु० 3.60 तक |

इस प्रकार आदिवासियों द्वारा जितनी बड़ी मछलियां पकड़ी जाती हैं उतना ही दाम उसे मिल जाता है।

आदिवासियों से मछलियां खरीदने के बाद राजस संघ अपने स्तर पर मछलियों के स्टोरेज, पेकिंग, केनिंग, प्रोसिसिंग तथा विपणन व्यवस्थाएं करता है।

राजस संघ ने आदिवासी मछुआरों की सुविधा के लिए माही में दो तथा कडाना में तीन इंजन युक्त नावें लगा रखी हैं जो दूर-दूर तक के क्षेत्रों से पकड़ी जा रही है मछलियों को तौल केन्द्र तक निःशुल्क पहुंचाने का कार्य करती है।

## अधिक मछली पकड़ो और इनाम पाओ

आदिवासियों के जीवन स्तर में सुधार आये तथा वे बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर हों, इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए राजस संघ ने मत्स्य आखेट व्यवसाय को प्रारंभ किया है। आदिवासी सदस्यों को मत्स्य आखेट कार्य में अधिक रुचि लेने के

लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राजस संघ ने आदिवासी मछुआरों के लिए विभिन्न प्रोत्साहन एवं पुरुस्कार योजनाएं भी संचालित कर रखी हैं जिसके फलस्वरूप आदिवासियों में मत्स्य आखेट के प्रति चाव बढ़ा है एवं वे अधिक मछलियां पकड़ने लगे हैं। सितम्बर, 1983 से प्रारंभ की गई पुरुस्कार योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जलाशय क्षेत्र में प्रति माह सर्वाधिक मत्स्याखेट करने वाली मत्स्य सहकारी समिति को दो सौ रुपये, जलाशय क्षेत्र में सर्वाधिक मत्स्य आखेट करने वाले सदस्य को एक सौ रुपये व प्रत्येक सहकारी समिति में प्रथम एवं द्वितीय रहने वाले सदस्य को 50 रुपये व 30 रुपये का नकद इनाम दिया जाता है। वर्ष भर में सर्वाधिक मछली उत्पादित करने वाली मत्स्य सहकारी समिति को एक हजार रुपये का नकद पुरुस्कार प्रदान किया जाता है।

इसी प्रकार राजस संघ मत्स्य सहकारी समितियों को अधिक मछलियां पकड़ने पर पकड़ाई दर के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी प्रदान करता है। इस प्रोत्साहन योजना के अनुसार कोई मत्स्य उत्पादक-सहकारी समिति एक पखवाड़े में अगर 10 क्विंटल से अधिक मछली पकड़ती है तो उसके द्वारा पकड़ी गयी कुल मछलियों में से "ब" और "स" श्रेणी की मछलियों के वजन का भुगतान दस-दस पैसे बढ़ाकर किया जाता है। मछलियों का उत्पादन 12 क्विन्टल से अधिक होता है तो उसे फिर से "ब" श्रेणी की मछलियों पर 10 पैसे एवं "स" श्रेणी की मछलियों पर 20 पैसे बढ़ाकर पकड़ाई दर के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाता है। बढ़ी हुई राशि का भुगतान समिति के सदस्यों को उनके द्वारा पकड़ी गयी मछलियों के अनुपात में कर दिया जाता है।

**इसके अतिरिक्त राजस संघ इन आदिवासी मछुआरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मितव्ययता कोष स्थापित करने पर भी विचार कर रहा है। राजस संघ आदिवासी सदस्य द्वारा पकड़ी गयी मछलियों का भुगतान 20 पैसे प्रति किलो ग्राम के हिसाब से घटाकर करता है। इन 20 पैसों में से 10 पैसे व्यवस्थापन व्ययों में खर्च हो जाते हैं जबकि 10 पैसे उसकी समिति में जमा होते हैं जोकि सदस्य की हिस्सा राशि होती है। अब हिस्सा राशि में जमा होने वाली 10 पैसे प्रति किलोग्राम वाली धनराशि में से आधी 5 पैसे को हिस्सा राशि में जमा करने व आधी 5 पैसे की धनराशि से मितव्ययता कोष स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। मितव्ययता कोष स्थापित हो जाने पर आदिवासी मछुआरों को इस कोष से सांत्वना सहायता व उपयोजना ऋण दिये जा सकेंगे।**

मत्स्य आखेट जोखिम भरा काम है। आदिवासी सदस्य की इसमें मृत्यु होने अथवा उसके शरीर के किसी अवयव के क्षतिग्रस्त होने पर उसके परिवार के समक्ष समस्या खड़ी हो जाती है। इसी बात को मद्दे नजर रखते हुए इन जलाशयों में मत्स्य आखेट करने वाले आदिवासी मछुआरों के लिए गत वर्ष से दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की गयी है। "जनता इन्श्योरेंश पॉलिसी" के तहत आदिवासी मछुआरों का बीमा कराया जाता है। यदि किसी सदस्य की मत्स्य आखेट के समय मृत्यु हो जाये अथवा अंग भंग हो जाये तो उसके परिवार को या उसे इस पॉलिसी के तहत 15 हजार रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है। आदिवासी मछुआरों का सामूहिक बीमा कराया जा रहा है। जय समन्द जलाशय की 5 सहकारी समितियों के 295 सदस्यों का बीमा अभी तक किया जा चुका है।

## अब कुशल मत्स्य आखेटक

आदिवासियों को आमदनी का जरिया मिलने से वे मत्स्य आखेट व्यवसाय में रुचि लेने लगे हैं तथा इस धंधे को अपना कर वे एक तरह से कुशल मछुआरे बनते जा रहे हैं। जय समन्द जलाशय में 1977-78 में जहां 361 सदस्य मत्स्य आखेट कार्य करते थे वहां अब यह संख्या 699 हो गयी है। कडाना जलाशय में प्रारंभिक वर्ष 1981-82 में 409 सदस्य मत्स्य आखेट व्यवसाय में लगे थे जो अब बढ़कर 849 तक पहुँच गयी है। माही-बजाज सागर जलाशय जिसमें गत वर्ष ही पानी का भराव किया गया था में 247 सदस्य मत्स्य आखेट कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार लगभग एक हजार 800 आदिवासी परिवार मत्स्य आखेट कार्य करके अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं।

अकेले जय समन्द जलाशय में सहकारी वर्ष 1983-84 के दौरान 322 टन मछलियों का उत्पादन हुआ व आदिवासियों को उनकी मछलियों का भुगतान 7 लाख 3 हजार रुपये का किया गया। सन् 1977-78 में इस जलाशय से 263 टन मछलियां पकड़ी गयीं जबकि 1981-82 में 227 टन तथा 1982-83 में 232 टन मछलियों का उत्पादन हुआ। इसी प्रकार माही एवं कडाना जलाशयों में आदिवासियों ने वर्ष 1981-82 में सिर्फ 27 टन मछलियां पकड़ी जो 1983-84 में 84 टन तक पहुंच गई और इस वर्ष में आदिवासियों को मछली पकड़ाई। भुगतान के रूप में 2 लाख 51 हजार रुपये का भुगतान प्राप्त हुआ।

मत्स्य आखेट की प्रवृत्ति में आदिवासियों का रुझान दिनोंदिन बढ़ रहा है। मत्स्य आखेट से उनको रोजगार मिलने के साथ ही उन्हें अच्छी आय होने लगी है। इसी का परिणाम है कि जय समन्द, माही एवं कडाना जलाशयों के पास रहने वाले आदिवासियों (प्रमुखतया भील-मीणा जातियां) की आर्थिक स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है जो सहज ही परिलक्षित होता है। मत्स्याखेट व्यवसाय को अपनाने के पश्चात् आदिवासियों ने अपने मकान बनाये हैं। कुछ ने जमीन खरीद ली है, कुछ ने अपने घर में गहने (आभूषण) बनवाये हैं तो कुछ ने अपने खेतों पर पम्प सेट भी स्थापित कराये हैं। अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति ध्यान देने लगे हैं। आज प्रत्येक सदस्य को भर पेट भोजन मिल रहा है तथा प्रत्येक सदस्य प्रतिदिन औसतन 8 से 10 रुपये तक कमा रहा है। इस मत्स्य आखेट के धंधे से सचमुच आदिवासी, मछुआरे क्या बने उनकी काया पलट हो गयी।

## लाभार्थियों के उद्‌गार

जय समन्द जलाशय की गांवड़ी मत्स्य उत्पादक सहकारी समिति के एक सदस्य ने बताया कि मत्स्य आखेट से उसे एक वर्ष में सात से 8 हजार रुपये की आय हो जाती है। गांवड़ी मत्स्य सहकारी समिति का ही अन्य सदस्य देवा अब इसलिए खुश है कि उसके पुराने गरीबी के दिन लद गये। देवा मीणा ने अपनी आप बीती सुनाते हुए बताया कि "बाबूजी! क्या बताऊं? कारखाने पर यानी मजदूरी पर जाता था और जब काम नहीं हुआ और मछली पकड़ने का कार्य किया तो ठेकेदार उसे मछलियां पकड़ने के धंधे पर लगा लेते थे और प्रति माह दस रुपये मजदूरी देते थे। बाबूजी बहुत अच्छा हुआ जो ढेकेदारों का राज चला गया और सरकार ने हमारी सहकारी समितियां बना दी।

देवा ने मुस्कराते हुए बताया कि मछली पकड़ने के धंधे से अब एक ही दिन में दस-बारह रुपये तक कमा लेता है। कतला, रोहू, महासिर बड़ी मछलियां हैं जिनके पकड़ने पर अधिक आय होती है। सिंघाड़ा सेवल आदि छोटी मछलियां हैं। राजस संघ ने मछलियों का धंधा अपने हाथ में क्या लिया देवा ने अपने घर में चान्दी के दो किलो ग्राम जेवर भी बनवा लिये हैं। देवा अब जमीन खरीदना चाहता है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है।

नामला समिति के सदस्य रूपा मीणा ने तो मत्स्य आखेट का धंधा करने के बाद अपना मकान बताया है। वह खुश है कि राजस संघ ने उसे रोजी पर लगाया व उसे नाव व जाल दिलाये। पूंज्या का भी यही कहना है।

जय समन्द मत्स्य तौल केन्द्र पर कार्यरत राजस संघ का कर्मचारी (लिपिक) कल्याण खराड़ी भी आदिवासी हैं। उसका कहना है कि मत्स्य आखेट व्यवसाय आदिवासियों के लिए वरदान साबित हुआ है। श्री कल्याण खराड़ी के अनुसार आदिवासी पहले जलाशय में जाल तक नहीं डाल सकते थे वे आज कुशल मछुआरे हैं। मत्स्य आखेट कार्य प्रति वर्ष सितम्बर से शुरु होकर जून माह तक चलता है। कल्याण ने बताया कि आज प्रत्येक आदिवासी मछुआरे ठेकेदारों के शोषण से मुक्त है। राजस संघ ने उनकी सहकारी समितियां बनायी हैं तथा मत्स्याखेट को आदिवासियों का आजीविका का साधन बनाया है।

## मत्स्य आखेट का प्रसार

मत्स्य आखेट व्यवसाय आदिवासियों के आर्थिक जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ ही उनके जीवन में सुनहरे भविष्य के सपने संजोकर लाया है। राजस संघ जन जाति उपयोजना क्षेत्र के आदिवासियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से बड़े जलाशयों के अतिरिक्त छोटे-छोटे जलाशयों के मत्स्य आखेट अधिकार भी प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहा है। डूंगरपुर जिले के लोडेश्वर जलाशय में 30 से 50 तक आदिवासी मत्स्य आखेट गति विधि से लाभान्वित हो सकेंगे। इसमें मत्स्य आखेट कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जा रहा है।

राजस संघ ने उदयपुर में अपने मुख्यालय पर मत्स्य क्रय केन्द्र बनाया है जिसमें उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर मछलियां उपलब्ध करायी जाती हैं।

इसके अतिरिक्त जन जाति उपयोजना क्षेत्र में निर्माणाधीन जाखम वृहद्ध सिंचाई परियोजना, सोम-कमला अम्बा एवं सोम कागदर मध्यम सिंचाई परियोजनाएं आगामी दो-तीन वर्षों में पूरी होने वाली हैं। जिसके फलःस्वरूप इनके बांधों में भी मत्स्य आखेट कार्य हो सकेगा। इन तीनों नये जलाशयों का काम पूरा होने पर जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आगामी वर्षों में 15 से 20 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में मत्स्य आखेट कार्य होने लगेगा। इस प्रकार जन जाति उपयोजना क्षेत्र में उक्त जल क्षेत्रों में मत्स्य पालन एवं मत्स्य आखेट की क्षमता को देखते हुए 7 हजार से अधिक आदिवासी परिवारों को मत्स्य उद्योग से रोजगार मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त मत्स्य उद्योग के सहायक उद्योगों के रूप में नाव, मछली का जाल, टोकरियां बनाने के लघु उद्योगों के विकास की विपुल संभावनाएं हैं।

इसके साथ ही जन जाति उप योजना क्षेत्र में जिला मत्स्य विकास अभिकरणें द्वारा भी आदिवासियों को मत्स्य आखेट के लिए छोटे-छोटे जलाशय आवंटित किये जा रहे हैं, वहीं आदिवासी मछुआरों की अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार राजस्थान के कुछ आदिवासियों का भविष्य मत्स्य उद्योग के साथ उज्जवल है। □

**जन सम्पर्क अधिकारी,**
**जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,**
**सूरज पोल, उदयपुर (राज.)**
**उदयपुर-313001**

# गोबर गैस : भारतीय कृषकों तथा ग्रामीणों के लिए ऊर्जा का एकमात्र सस्ता विकल्प

डॉ० अजित कुमार गौड़

लगभग 11.5 हजार अंचलों की देख-रेख में 5.5 लाख गांवों का देश भारत एक "कृषि प्रधान" देश है। जिसमें रहने वाले ग्रामीण भारतीयों की जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या की 76.69 प्रतिशत है। तभी तो भारत की समृद्धि एवं शक्ति ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर ही निर्भर है। यह निर्विवाद है कि ग्रामीण विकास में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी अपनाये बिना गांवों की काया पलट कर उनकी आवश्यक प्रगति करना सम्भव नहीं।

वर्तमान में गांवों में विकास की सबसे बड़ी बाधा ऊर्जा प्राप्ति की है। नयी प्रौद्योगिकी अपनाने के बाद तो यह समस्या और भी भयंकर रूप धारण करेगी। इस समय ऊर्जा के साधनों, प्रमुख रूप से लकड़ी, तेल व बिजली आदि की सीमाओं को नगरीय आवश्यकताओं की पूर्ति के बीच सहज ही अनुभव किया जा रहा है। इस शताब्दी के प्रारम्भ में ऊर्जा के लिए लकड़ी का सबसे अधिक उपयोग होता था, 1950 तक सर्वाधिक उपयोग कोयला का हो रहा था, 1963 तक यह स्थान तेल ने ले लिया। विश्व के 133 विकासशील देशों में से 92 देश तेल आयातक हैं और उनमें से 64 देश तो अपनी कुल खपत के 75 प्रतिशत से भी अधिक आयात करते हैं। 24 विकासशील देश अभी तेल का निर्यात करते हैं, परन्तु आने वाले वर्षों में उनका पूरा तेल-उत्पादन अपनी ही घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति में आने लगेगा। भारत को 2000 ई० में 9.2 करोड़ टन तेल की आवश्यकता होगी, जब कि उसका कुल तेल उत्पादन तब 2.4 करोड़ टन होगा। इस प्रकार उसे 6.8 करोड़ टन तेल का प्रबन्ध कहीं न कहीं से करना पड़ेगा। ऐसी विषम परिस्थिति के आने के पूर्व ही देश 11.5 हजार अंचलों में फैले 5.5 लाख गांवों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति हेतु निःसंदेह नये साधनों की खोज करनी होगी और वे साधन भी ऐसे हों जो ग्रामीण पर्यावरण में सहजता से स्वीकारे जा सकें। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के भरपूर प्रयासों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों का पूर्ण रूप से विद्युतीकरण अभी दूर की बात है। ऐसी स्थिति में ऊर्जा के नये साधन ही हमारी विशाल ग्रामीण आवश्यकता को पूरा कर पायेंगे। इन्हीं साधनों की खोज में 1978 में "सौर ऊर्जा" पर अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन राजधानी में हुआ था। तब पहली बार पहले से कहीं अधिक गम्भीरता के साथ ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों की ओर देश के वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित हुआ। यद्यपि सौर ऊर्जा की चर्चा भी जोर-शोर पर है, और लगता है जैसे सूर्य अब हमारी मुट्ठी में है, तथापि यह पकड़ कुछ हद तक अभी ढीली जान पड़ रही है। ऊर्जा के ऐसे ही नये साधनों की खोज में समुद्र मंथन से ऊर्जा प्राप्त करने की बात भी आज विश्व में की जा रही है। कनाडा के डॉ० ब्राचन लार्किन ने ऐसी तकनीकी खोज निकाली है जिससे समुद्र से ऊर्जा प्राप्त की जा सके।

राहत की प्राथमिकता को देखते हुए, आज भारतीय किसानों के सामने दो बड़ी समस्यायें हैं। पहली—उर्वरक की कमी और दूसरी—ईंधन की कमी इन दोनों समस्याओं का एक मात्र हल —"गोबर" है, जो वैकल्पिक ऊर्जा-साधनों में एक उपयोगी साधन है। गोबर गैस से अभी तक बहुत कम ग्रामवासी फायदा उठा सके हैं। ऊर्जा के नये साधनों के रूप में "गोबर गैस" भारत के लिए नया भले ही हो लेकिन चीन में लाखों की संख्या में "गैस संयत्र" लगे हुए हैं। अपने देश में इधर गोबर गैस संयंत्र पर काफी जोर-शोर से काम चल रहा है, वैसे भी विकासशील देशों में भारत एक मात्र देश है, जिसने ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों के दोहन के लिए अनुसंधान तथा विकास का व्यापक कार्यक्रम ऊर्जा समस्या के आरम्भ होते ही शुरू कर दिया था। इस गोबर गैस संयंत्र से एक ओर जहाँ ईंधन की समस्या का समाधान होगा, वहीं दूसरी ओर खाद की समस्या का निदान भी। गोबर को गोबर गैस संयंत्र में डालकर काम में लाने से दो लाभ एक साथ होते हैं—उत्तम ईंधन तो मिलता ही है साथ ही खेतों के लिए अच्छी खाद भी। इसके विपरीत गोबर उपलें बनाकर जलाने के काम में लाने पर अथवा खेत में साधारण खाद के रूप में डालने पर दो में से केवल एक ही लाभ

नृत्य जनजाति जीवन का
नृत्य क्षेत्र विशेष के निवा

## जीवन की झलकियां

ज्य अंग हैं। अधिकांशतः ये
ी सृजनात्मकता दर्शाते हैं।

मिलता है। यही नहीं संयंत्र की खाद और ईंधन (गैस) दोनों ही सीधे गोबर के उपयोग से अधिक सशक्त और उपयोगी होती है।

योजना आयोग के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में लगभग 80 करोड़ टन गोबर प्रतिवर्ष प्राप्त होता है, जिसका लगभग 50 प्रतिशत (40 करोड़ टन) ईंधन के रूप में जला दिया जाता है और 10 प्रतिशत कम्पोस्ट खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यदि उसका उपयोग गोबर गैस बनाने में किया जाये तो 7000 करोड़ टन घनमीटर गैस तैयार हो सकती है, जो 16 करोड़ टन लकड़ी से प्राप्त ईंधन के बराबर बैठती है। इतना ही नहीं, गोबर के क्षतिपूर्ण उपयोग के कारण हमारे देश में लगभग 10 करोड़ टन लकड़ी प्रति वर्ष जलावन के रूप में उपयोग कर ली जाती है। इससे वनों की संख्या तेजी से कम हो रही है। साथ ही गाँवों में पेड़ों की कमी भी होती जा रही है। परिणाम स्वरूप हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार गाँवों में खाना पकाने में ही हमारी कुल ऊर्जा का 57 प्रतिशत व्यय हो जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध ऊर्जा का 95 प्रतिशत है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि यदि किसी तरह इस गोबर को ईंधन के रूप में न जलाकर खाद के रूप में लाया जाय तो इससे देश के अन्नोत्पादन में 1 करोड़ टन की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है।

## गोबर गैस संयंत्र

गोबर में गोबर गैस के रूप में ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है जिसे उसमें से निकाल कर ईंधन के रूप में काम में लाया जा सकता है। इस ऊर्जा के रूप में निकलने वाले गैस को "गोबर गैस" कहते हैं। गोबर गैस संयंत्र गोबर का उपचार कर उसमें से गोबर गैस निकाल देता है, जिसे "होल्डर" में इकट्ठा कर लिया जाता है। साथ ही गोबर गैस संयंत्र में गोबर का जो हिस्सा गोबर, पानी आदि के मिश्रण (स्लरी) के रूप में बचा रहता है उसे उमदा खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

गोबर गैस का वैज्ञानिक नाम "मीथेन" है। इसमें लगभग 60 प्रतिशत मीथेन, 10 प्रतिशत हाइड्रोजन और 30 प्रतिशत कार्बन डाइआक्साइड होता है।

## कम्पोस्ट खाद से तुलना

1. गोबर, गोबर गैस संयंत्र में डालने पर उतनी ही मात्रा के गोबर से लगभग डेढ़गुणी अधिक खाद प्राप्त होती है। ऐसा इसलिए कि गैस डाइजेस्टर में गोबर अल्प मात्रा में ही नष्ट होता है; जबकि कम्पोस्ट खाद बनाने में गोबर के अधिकांश तत्व नष्ट हो जाते हैं।

2. गोबर गैस संयंत्र से प्राप्त खाद अधिक समृद्ध होती है, क्योंकि उसमें 1.5 प्रतिशत नाइट्रोजन होती है, जबकि कच्चे गोबर में केवल 0.75 प्रतिशत नाइट्रोजन होती है।

3. गोबर गैस संयंत्र से प्राप्त खाद में उर्वरकता की प्रचुरता होती है जो मिट्टी की भौतिक, प्रकृति के सुधार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

4. संयंत्र से मिलनेवाली खाद इस प्रकार सूक्ष्म रूप से विभाजित अवस्था में होती है कि वह कम्पोस्ट खाद की तुलना में बहुत ही आसानी से मिट्टी में मिल जाती है।

5. संयंत्र में गैस बनने की प्रक्रिया में गोबर जमीन के अन्दर ही सड़ जाता है; अतः मक्खी और मच्छर उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। इसके विपरीत गोबर के कम्पोस्ट खाद के कारण मक्खियों और मच्छरों की वृद्धि बहुत तेजी से होती है।

6. परजीवियों के 95 प्रतिशत अण्डे संयंत्र की टंकी में पहुंचने के बाद किण्वन (फार्मेंटिशन) के जरिए नष्ट हो जाते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में हुकवर्म, घोंघा ज्वर लेप्टोस्पाइरोसिस जैसे रोगों का खात्मा किया जा सकता है। लेकिन कम्पोस्ट खाद के कारण ठीक इसके विपरीत होता है।

7. घास आदि के बीज जो गोबर में रहते हैं, टंकी में 15 से 30 दिन तक पड़े रहने के कारण अपनी जमने की शक्ति खो देते हैं। फलतः संयंत्र से अवशिष्ट के रूप में प्राप्त खाद पौधों के पोषण में गोबर के कम्पोस्ट खाद से अधिक सहयोगी होती है।

8. संयंत्र के उपयोग से पशुओं के मल हटाने की समस्या भी अपने आप हल हो जाती है, जिससे गांवों में सफाई बनाये रखना आसान होता है।

## गोबर गैस और उपले में तुलना

1. गोबर गैस को जलाने से प्राप्त गरमी, गोबर के उपलों को जलाने से प्राप्त गरमी से 20 प्रतिशत अधिक होती है। ऐसा इसलिए कि गैस का उष्मीय मान उपलों की उष्मीय मान से अधिक होता है।

2. गोबर गैस का उपयोग करने पर उपलों के धुंए से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि गोबर गैस धुम्ररहित ईंधन है। इससे गृहणियों की आंखों की रक्षा तो होती है, रसोई घरों की दिवालों, छतों आदि पर धुएं की परत भी नहीं जमती और सम्पूर्ण वातावरण स्वच्छ रहता है। रसोई के बर्तनों पर धुंए की पपड़ी भी नहीं पड़ती, जिससे उसे साफ करना आसान होता है।

3. बरसात के लिए उपलों को संग्रह करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इससे जगह की बचत होती है। साथ ही सांप, बिच्छू का भय भी नहीं होता।

4. गोबर गैस संयंत्र लग जाने पर गांव की स्त्रियां तथा बच्चे जो प्रति दिन कई घन्टे ईंधन के लिए गोबर पाने के लिए बेचैन हो समय नष्ट करते हैं तथा पाने के बाद उसे उपले के रूप में तैयार करने के पीछे जो परेशान होते हैं, उसमें उनका ज्यादा समय नष्ट

होता है। जिस समय का सदुपयोग वे कई तरह का हुनर सीख कर सकते हैं।

## उपलब्धियाँ

वह परिवार जिसमें गोबर गैस संयंत्र लगे हैं, जाकर देखने से ही मालूम हो जाता है कि उनका रहन-सहन का स्तर कैसा है। क्योंकि एक गैस संयंत्र ने उन्हें इतना समय दे रखा है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य निश्चिंत हो अपने इच्छित कार्य को पूरा करने में जुटे हुए हैं। उनके घर की सुन्दरता के साथ-साथ प्रसन्नता, आराम और अतिथि सत्कार वे सब उस परिवार के लिए सराहनीय हो गया है। तभी तो एक गोबर गैस संयंत्र अपनी उपलब्धियों को निम्नलिखित रूप में देखता है:-

1. अब बिना धुंए और कम परिश्रम के साथ खाना बन सकेगा। इससे ईंधन की समस्या का समाधान होगा।
2. प्रकाश की वह कमी जो घर को भूत का डेरा बनाये हुए था को प्रकाशमय बनायेगा। बच्चे ठीक से पढ़ सकेंगे तथा परिवार के अन्य सदस्य दूसरे कार्यों को निपटा सकेंगे। इससे ग्रामीण जीवन की नीरसता हटेगी, रात्रि में अंधेरा दूर होगा साथ ही मच्छरों से भी मुक्ति मिलेगी।
3. गैस संयंत्र के आगमन से गांव की गन्दगी हटेगी व वातावरण में शुद्धता आयेगी तथा घर, गांव सुन्दर दिखेंगे।
4. इस संयंत्र की मात्र उपलब्धि यह नहीं कि यह सिर्फ ईंधन, खाद और रोशनी ही देती है, बल्कि इसमें निहित शक्ति से कुट्टी काटने की मशीन, आटा पीसने की मशीन, अनाज निकालने की मशीन, रूई धुनने की मशीन, मशाला पीसने की मशीन इत्यादि के साथ-साथ सिंचाई के लिए तथा कुएं से पानी खींचने के भी काम आ सकेगी।
5. इससे गांव के लिए ऊर्जा की समस्या का समाधान तो होगा ही साथ-ही-साथ गांवों में रोशनी के लिए खर्च होने वाले तेल, ट्रैक्टर व अन्य मशीनों को चलाने में खर्च होने वाले डीजल व पेट्रोल की भी बचत होने लगेगी। जिससे करोड़ों रुपये की देशी-विदेशी मुद्रा की बचत की जा सकेगी।
6. गोबर द्वारा गैस प्राप्त करके बचे गोबर को फिर वैसा ही कम्पोस्ट खाद के रूप में खेतों में दिया जा सकेगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी।

गोबर गैस संयंत्र सम्बन्धी उपर्युक्त खूबियां और सुविधाएं, ऊर्जा ईंधन के क्षेत्र में ऊर्जा का एक ऐसा सस्ता विकल्प है; जिसका स्वागत भारतीय ग्रामीण परिवार सहजता से कर सकता है। सिर्फ एक संयंत्र जिस बहुलाभ को सामने लाता है, को देखते हुए संयंत्र का लागत खर्च नगण्य जान पड़ता है, और कोई परिवार इसे किसी भी परिस्थिति में संचालित कर सकता है।

## संचालक तकनीक

गोबर गैस संयंत्र की संचालन तकनीक इतनी सरल है कि इसके लिए किसी विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं और नहीं जरूरत है किसी प्रशिक्षण की। इसे कोई भी सहजता से संचालित कर सकता है। एक औसत संयंत्र के लिए तीन-चार पशुओं का गोबर पर्याप्त होता है, जो किसी भी कृषक परिवार के पास साधारणतया होते ही हैं।

## कुल विनियोग

एक गोबर गैस संयंत्र पर लगभग 4,000 रुपये की लागत आती है, जिसमें से 800 रुपये सरकार की ओर से अनुदान के रूप में मिल जाते हैं। इस तरह शेष 3,200 रुपये का भार की भी व्यवस्था नाममात्र ब्याज पर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार हम पाते हैं कि एक संयंत्र पर किसान परिवार का अपना निज का विनियोजन शून्य के बराबर है। संयंत्र लगाने, टैंक बनवाने आदि के लिए विकास खण्ड के निरीक्षण में निःशुल्क श्रमिक सेवाएं उपलब्ध करायी जाती है। साथ ही इस काम के लिए किसान को 50 से 60 बोरी सीमेंट भी दिया जाता है। उल्लेखनीय बात यह है कि इस प्रारम्भिक विनियोग के अतिरिक्त इस संयंत्र पर रख-रखाव व मरम्मत के रूप में बाद में आनेवाली लागत न के बराबर ही है।

इस तरह आज के युद्ध युग और इलेक्ट्रोनिक युग में प्रकृति प्रदत्त ऊर्जा के पाये गये और पाये जाने वाले सभी भण्डारों की क्षमता का प्रत्येक क्षेत्रों में हिसाब से खर्च करने पर भी, ऊर्जा अनवरत अपनी भूमिका नहीं निभा पायेगी। जहां तक भारत, उसकी जनसंख्या तथा उसके ऊर्जा स्रोत की जो क्षमता है, अपने लाख प्रयत्न के बावजूद भी एक रूप गति आपूर्ति नहीं कर पायेगी। क्योंकि जिस तेजी से मुद्रा के वास्तविक मूल्य में ह्रास हो रहा है, उसी तेजी से जनसंख्या भी गरीबी रेखा से नीचे की ओर सरकती जा रही है। ऐसी स्थिति में ऊर्जा के विभिन्न नये आयामों में ग्रामीण भारतीयों और कृषकों को खुद ही अपने सीमित साधनों के द्वारा पैर पर खड़ा होकर आनेवाले समय से टकराना है। इसलिए तमाम अध्ययनों के बाद यह निष्कर्ष सामने आया है कि बहुत ही बहुलाभ, ईंधन और प्रकाश के लिए एक भाग गोबर गैस संयंत्र ही ऊर्जा संकट काल में ऊर्जा का नया सस्ता आयाम है। □

**लीची बागान, पंखा टोली**
**रमना, मुजफ्फरपुर-842002**

# गांवों में नयी भोर की नयी किरण

कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में विकास के प्रमुख कार्यक्रमों के साथ ही सरकार ग्रामीण जीवन को सुधारने और निर्धनता से मुक्त करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। इस दिशा में शुरूआत सामुदायिक विकास कार्यक्रम से की गयी। विगत कुछ वर्षों में इस तरह की कई योजनाएं क्रियान्वित की गयी हैं। ये योजनाएं गांवों में सामाजिक ढांचे को मजबूत बनाने और गांवों में रोजगार के अवसर जुटाने जैसे कई कल्याणकारी कार्यों से सम्बद्ध हैं।

**हमारे नियोजित विकास-कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य निर्धनता का उन्मूलन और लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। यह सही है कि औद्योगीकरण और रचनात्मक विकास से लोगों को बड़ा लाभ पहुंचता है लेकिन इस तरह की बड़ी परियोजनाओं को तैयार** करने और उनके क्रियान्वयन के समय इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि इसका लाभ समाज के आम आदमी तक पहुंच सके और जन-साधारण आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ सकें।

छठीं और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित किये जा रहे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न अवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता उपलब्ध कराने के लिए छोटे किसानों, दस्तकारों, भूमिहीन श्रमिकों, स्वरोजगार में लगे युवाओं आदि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। कार्यक्रम के अन्तर्गत जरूरतमंदों को सहकारी, व्यावसायिक और ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। सामान्य श्रेणी के व्यक्ति को 3000 रुपये और अनुसूचति एवं जनजाति के व्यक्ति को 5000 रुपये तक की ऋण सहायता मिल सकती है।

समन्वित विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू योजनाओं के **प्रबंध कार्य की देखरेख जिला ग्रामीण एजेंसी (डी०आर०डी०ए०) द्वारा की जाती है। यह एजेंसी सहायता के पात्र लोगों का पता लगाती है और कार्यक्रम की प्रगति पर नजर रखती है। खण्ड एवं ग्रामीण स्तर पर विकास एजेंसी और पंचायतें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाती है।**

पिछले पांच वर्षों के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के दौरान 16560 लाख निर्धन परिवारों की सहायता की गयी जबकि कार्यक्रम की शुरूआत में सहायता प्राप्त करने वाले निर्धन परिवारों की संख्या 27 लाख थी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता देने पर विशेष बल दिया जाता है। सहायता प्रदान करने वाले ऐसे परिवारों की संख्या 1980-81 में 7.8 लाख से बढ़कर 1983-84 में 17.3 लाख हो गयी।

**उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति ऋण राशि 1000 रुपये से बढ़कर 2134 रुपये और सहायता राशि 58 रुपये से बढ़कर 1190 हो गयी। इस अवधि के दौरान सहायता प्राप्त करने वाले कुल** व्यक्तियों में से 49 प्रतिशत व्यक्तियों का जीवन-स्तर गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सका। आशा है कि अन्तिम मूल्याकन करने तक और 40 प्रतिशत परिवारों का जीवन-स्तर गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुका होगा।

## युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम

किसी विशेष क्षेत्र के विशेष वर्ग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कई उपकार्यक्रम है। ऐसा ही एक कार्यक्रम है "ट्रायसेम" जिसका अर्थ है ग्रामीण **युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण। इस कार्यक्रम के** अन्तर्गत अपने काम में कुशल 18 से 35 आयु वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के लिए सहायता दी जाती है। वर्तमान लक्ष्य प्रत्येक खण्ड स्तर पर 40 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर प्रति वर्ष दो लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना है। महिला एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को प्रशिक्षण के लिए प्राथमिकता दी जाती है। सरकार द्वारा प्रायोजित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई०टी०आई०) और पालिटेकनिक जैसे संस्थान कुशल शिल्पकारों को प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण के दौरान चुने हुए लोगों की आर्थिक सहायता भी की जाती है।

छठी पंचवर्षीय योजनावधि में "ट्रायसेम" के अन्तर्गत लगभग 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें लगभग 50 प्रतिशत व्यक्ति स्वरोजगार में लगे हैं। कुल प्रशिक्षणार्थियों में से 3 लाख से अधिक महिलाएं हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास के एक भाग के रूप में देश के चुने हुए 50 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास की एक योजना प्रायोगिक रूप में चलायी जा रही है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को संगठित कराना और आय-उत्पादक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम पर विशेष ध्यान

दिया जा रहा है। वर्ष 1983-84 के दौरान इस कार्यक्रम पर 40 लाख रुपये व्यय किये गये थे। वर्ष 1984-85 में इस कार्यक्रम पर व्यय की जाने वाली यह राशि बढ़ाकर 258 लाख रुपये कर दी गयी। चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। 5 हजार समूहों को सहायता के लिए चुना गया है। सहायता प्राप्त करने वालों की संख्या पहले ही 20 हजार से अधिक हो गयी है।

## ग्रामीण—रोजगार

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तंगी के दिनों में ग्रामीण युवाओं को पूरक रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही सामुदायिक सम्पत्ति का सृजन भी करता है। इस योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को मजदूरी का आंशिक भुगतान अनाज के रूप में किया जाता है। इस कार्यक्रम से भी लघु सिंचाई प्रबंधों, सम्पर्क सड़कों, स्कूल, पंचायत भवनों, वनों, खेल के मैदानों जैसे सामुदायिक उपयोग के निर्माण कार्यों पर विशेष बल दिया जाता है। विगत पांच वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम पर 1819 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गयी और प्रति वर्ष 300 से 400 श्रम दिवसों के बराबर रोजगार जुटाया गया। इस कार्यक्रम के द्वारा 9.13 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के लिए लघु सिंचाई एवं बाढ़ सुविधाएं जुटाई गयी, 5 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में भू-संक्षरण और भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। ग्रामीण क्षेत्र में 4.28 लाख किमी० लम्बी सड़कों का निर्माण एवं स्कूल तथा सामुदायिक उपयोग के लिए 2 लाख भवनों का निर्माण किया गया।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह कार्यक्रम नये जोश के साथ क्रियान्वित किया जायेगा।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम में प्रत्येक भूमिहीन श्रमिक परिवार के कम से कम एक सदस्य को प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत भी मजदूरी का एक भाग अनाज के रूप में दिया जाता है। वर्ष 1984-85 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा सुझाई गयी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए ग्रामीण मंत्रालय में गठित केन्द्रीय समिति द्वारा स्वीकृत विशेष परियोजनाओं के लिए 400 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गयी।

विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में क्रियान्वयन के लिए मार्च तक 318 परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी थी। इन परियोजनाओं पर 900 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

## भूमि सुधार पर बल

भूमि सुधारों के अभाव में भूमिहीन श्रमिकों को अभी तक काफी मुसीबतों और शोषण का सामना करना पड़ा है। अब किसी एक व्यक्ति के पास भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गयी है और भूमिहीन लोगों में वितरण के लिए अतिरिक्त भूमि का सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। वितरित की गयी भूमि के विकास के लिए ऋण और बीज एवं उर्वरक आदि आदानों के रूप में सरकारी सहायता उपलब्ध करवायी जा रही है।

वर्ष 1972 में राष्ट्रीय निर्देशों के अनुरूप भूमि हदबन्दी अधिनियम के लागू होने के बाद से अभी तक 43.22 लाख एकड़ भूमि को अतिरिक्त भूमि घोषित किया जा चुका हे। इसमें से 22.42 लाख एकड़ भूमि को 16.82 लाख भूमिहीन श्रमिक परिवारों में वितरित भी किया जा चुका है।

राज्य सरकारों में भूमि सुधारों को तैयारी से लागू करने के लिए कहा गया है।

## समस्याग्रस्त भूमि की देखभाल

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किये गये दो अन्य विशेष कार्यक्रम सूखा-ग्रस्त क्षेत्र और रेगिस्तान विकास कार्यक्रम हैं। पहले कार्यक्रम के अन्तर्गत शुष्क भूमि खेती, भूमि एवं जल संरक्षण और चारागाहों के विकास को बढ़ावा दिया जाता है। यह कार्यक्रम इस समय 13 राज्यों के 511 खण्डों में चलाया जा रहा है। विगत पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र एवं विभिन्न राज्यों ने इस कार्यक्रम पर 320 करोड़ रुपये व्यय किये।

रेगिस्तान विकास कार्यक्रम का उद्देश्य रेगिस्तान के विस्तार पर नियंत्रण करना और इन क्षेत्रों के निवासियों की आय और उनके उत्पादों को बढ़ाने में सहायता देना है। यह कार्यक्रम गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 18 गर्म रेगिस्तानी ज़िलों और हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के 3 ठंडे रेगिस्तानी जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत वन लगाने, चारागाहों का विकास और रेत के टीलों को स्थिर बनाने की परियोजनाओं पर कार्य किया जाता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम पर 71 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गयी।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आम आदमी और स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। स्वैच्छिक संगठनों को सहायता पंजीकृत समितियों और पीपुल्स एक्शन डवलमेंट (इंडिया) के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है।

हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ग्रामीण विकास कार्यों में जुटी हुई विभिन्न एजेंसियों को प्रशिक्षण देता है। संस्थान "ग्रामीण विकास" के लिए नयी तकनीकों और क्रियाओं का पता लगाता है। इसके साथ ही संस्थान विकास कार्यों के संदर्भ में अनुसंधान और मूल्यांकन करता है। □

केन्द्र शासित क्षेत्र दिल्ली के हैदरपुर गांव के वासियों से साक्षात्कार

# बदलता गांव

नीलम लूथरा

पिछले कुछ वर्षों से आर्थिक तथा सामाजिक विकास से भारतीय गांवों का जो कायाकलप हो रहा है, सराहनीय है। दिल्ली के हैदरपुर गांव में हम जब कुछ वर्ष पहले गये थे तो केवल कच्चे मकान, पीने के लिए बर्मे का पानी तथा खाने के नाम पर रोटी के साथ केवल 'आलू' ही उपलब्ध थे। बिजली का कहीं नाम ही नहीं था।

आज जब मैं इस गांव में आई तो देखा कि गांव में सभी पक्के मकान बने हुए हैं, लोगों के घरों में बत्तियां जल रही हैं, टी०वी० हैं, बिजली हैं। बच्चों के लिए स्कूल भी हैं, जबकि पहले पढ़ने वालों को गांव के बाहर जाना पड़ता था और जो नहीं जा सकते थे उन्हें अपढ़ ही रहना पड़ता था। आज लगभग सभी लड़कियां भी स्कूल जाती हैं, जबकि पहले लोग लड़कियों की पढ़ाई का हक भी नहीं समझते थे।

गांव में एक बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल है, मदरडेयरी की दूध सप्लाई है, एक बड़ी मार्केट भी है। किसी चीज की कमी नहीं। यह गांव है या शहर, यहां तो सड़कें भी बड़ी और साफ सुथरी हैं।

गांव के लोगों से बातचीत में पूछा कि गांव के लोगों को सरकार ने क्या-क्या सहूलियतें दी हैं? क्या सभी लोगों को सहूलियतें प्राप्त हैं या कुछ लोगों तक ही सीमित हैं? गांव की एक महिला आशा देवी ने कहा—मुझे इस गांव में रहते 15 साल हुए हैं। शादी के बाद मैं इस गांव में ही हूँ। जब मैं इस गांव में आई थी तो बिजली तो थी पर बिजली का उपयोग अब हो रहा है, क्योंकि पहले कच्चे मकानों, झोंपड़ियों में बिजली नहीं लग सकती थी। हमें सरकार की तरफ से ऋण मिला, हमने अपने मकान बनवाए तथा बिजली का कनैक्शन लिया। अब हमें किश्तों पर टी०वी० भी मिल गया जिसमें हम बिजली का उपयोग करते हैं। गांव में ही कारखाने भी लग गए हैं, इनमें प्रति कारखाना 15-20 व्यक्तियों को रोजगार मिला। कारखाना एक रबड़ का है तथा दूसरा स्टील का।

हैदरपुर गांव की मुन्नी देवी (बी०ए०) ने बताया "मुझे इस गांव में रहते तीन-चार साल हो गए हैं। मैंने अपने इन तीन-चार सालों में इस गांव में बहुत परिवर्तन पाया है। पहले गांव में सीवर नहीं थे, अब सीवर पड़ गए हैं। अब तो घर-घर में पानी की पाइप जा रही हैं। अब हमें बर्मे का पानी नहीं पीना पड़ता। अब नल का पानी उपलब्ध हो गया। और इन तीन-चार सालों में मैंने देखा हमारे गांव में डाकखाना भी बन गया हैं। गांव से बाहर जाने-आने में समय की बचत हो गई है।

अब गांव में सफाई भी काफी रहने लगी है। बरसात के दिनों में हमारे गांव में सफाई कर्मचारी विशेष ध्यान रखते हैं। कार्यकर्ता खुद अपने हाथ में झाड़ू लेकर स्थानीय लोगों की सहायता से गांव में सफाई करते हैं ताकि गांव में कोई बीमारी न फैलने पाए अब हमारे गांव में आयुर्वेदिक अस्पताल भी है। इसमें 100 बिस्तरों का इन्तजाम है और यहाँ के लोगों का मुफ्त इलाज होता है। हर प्रकार की ताकत की दवाइयां भी मुफ्त में गांव वालों को दी जाती हैं।

इसी गांव की सविता देवी अपने गांव में बहुत खुश है। उनके अनुसार अब यह गांव किसी प्रकार से शहर से कम नहीं लगता। उन्होंने कहा यहां पर हर वह वस्तु मिलती है जो कि पहले हमें शहरों से लानी पड़ती थी। यहां पर पहले सब्जी के नाम पर केवल 'आलू' ही उपलब्ध होते थे। अब सरकार ने यहां के लोगों को दुकानें अलाट करके पूरी मार्केट ही बना दी हैं। एक तरफ गांव वालों को मार्केट का सुख मिला, दूसरी तरफ रोजगार भी प्राप्त हो गया।

गांव में स्कूल खुल गए हैं। एक प्राइमरी तथा दूसरा मिडिल तक है। प्राइमरी तक तो हमें बच्चों के लिए न तो फीस ही भरनी पड़ती है और नहीं किताबें ही खरीदनी पड़ती हैं। यह सब सरकार की तरफ से हमारे बच्चों को मुफ्त मिलता है, साथ ही साल में एक बार बच्चों को मुफ्त बाहर घूमने के लिए भी ले जाया जाता है।

प्राइमरी तक तो केवल 10 पैसे ही फीस के नाम पर लिए जाते हैं मिडिल तक स्कूलों में केवल दो रुपये फीस है जो नगण्य है।

कस्तूरी देवी (भूतपूर्व कांऊसलर की बहन) कहती हैं—मैं इस गांव में बहुत वर्षों से रह रही हूं, और मैं बेवा हूं। अपने भाई के पास ही रहती हूं। मैं इस गांव से बहुत ही प्रभावित हुई हूं। यह पहले से बहुत ज्यादा अच्छा गांव बन गया है। इन्दिरा जी ने हमारे गांव के लिए बहुत कुछ किया है। अब तो हमारे गांव में बैंक भी खुल गया है। हमारे गांव के आदमी ही उस बैंक में काम करते हैं।

सरकार ने हमारी बंजर तथा बेकार पड़ी जमीन हमसे खरीद कर उसका पूरा मुआवजा दे दिया है। उस पर कालोनियां बसा दी हैं, कहीं-कहीं खेती भी कर रही है।

गांव में प्रोढ़ शिक्षा केन्द्र भी खुला है। जिसमें गांव की औरतें

पढ़ना-लिखना सीख रही हैं। ज्यादा न सही तो हमारे जैसी बड़ी-बूढ़ी औरतों ने कम-से-कम अपना नाम लिखना तो सीख लिया है। अब गांव में एक नर्स भी आती है जो हमें हमारे परिवार को छोटा रखने को बताती हैं। हमारे पास के बांदली गांव में तो जो यहाँ से केवल दो फर्लांग की ही दूरी पर है परिवार नियोजन केन्द्र भी खुल चुका है। हमारे गांव की औरतें अब वहाँ जा कर आपरेशन करवाती हैं।

बस एक कमी है हमारे गांव में एक लघु उद्योग का केन्द्र खुलवा दो, जिससे मेरे जैसी बेवा औरतें काम सीख कर अपना पेट भर सकें। औरतों को सिलाई-कढ़ाई सिखाने का स्कूल खुलना चाहिए।

यहाँ के श्री रामपाल ने बताया कि इस गांव में आकर बहुत ही ज्यादा उन्नति पाई। पहले यहां बस सेवा अच्छी नहीं थी। अब हर 10-15 मिनट के बाद बस मिल जाती है। अब हम अपने बच्चों को प्रीतमपुरा, शालीमारबाग, रूपनगर आदि के अच्छे स्कूलों में भी भेजते हैं। अच्छी सड़कें बनने से, शहरों से गांव जुड़ने से स्कूल की बसें यहाँ आ-जा सकती हैं। भले ही हमारे गांव में 'हाई स्कूल' तथा 'विश्वविद्यालय' नहीं हैं लेकिन शहरों से रास्ते जुड़ने से तथा यातायात के अन्य साधन मिलने से अब हमारे बच्चे शहरों में 'हाई-स्कूल' तथा 'विश्वविद्यालय' तक भी शिक्षा ले रहे हैं।

पूछने पर रामचन्द्र नम्बरदार ने कहा—मैं इस गांव में शुरु से ही रह रहा हूं। मैंने अपने गांव में बहुत ही उन्नति देखी है। सरकार ने हमारे गांव को बहुत ही सुविधाएं दी हैं। यहाँ पर बिजली, पानी, सड़कें, यातायात के साधन, स्कूल, अस्पताल, सीवर, पोस्ट-आफिस, दुकानें इत्यादि में रोजगार भी मिला है। सरकार की तरफ से ऋण भी मिले। हमने अपने मकान पक्के बनवाए। हमारे गांव में कारखाने भी खुल गए हैं, उनमें भी हमारे गांव के लोग रोजगार पाते हैं। परिवार नियोजन केन्द्र से डाक्टर तथा नर्सें घर-घर जा कर प्रचार भी करती हैं। अब तो औरतों को भी पुरुषों के समान दर्जा मिलने लगा है। गांव के लोग समझने लगे हैं कि अपने परिवार को छोटा रख कर बच्चों को किस प्रकार अच्छा पढ़ा-लिखा कर लियाकत हासिल कराई जाती है।

अब तो बच्चों के साथ-साथ बड़ों को भी इस गांव में शिक्षा दी जाने लगी है। शिक्षा का प्रचार हो रहा है। लेकिन प्रसार कुछ ज्यादा तेज किया जाए तथा एक अध्यापक और होना चाहिए जिससे गांव के ज्यादा-से-ज्यादा प्रोढ़ों को शिक्षा का लाभ पहुंचाया जा सके। यही हमारी प्रार्थना है। □

**4/42 वेस्टर्न, करोल बाग**
**नई दिल्ली-5**

---

# जनजाति विकास के लिए वर्ष 1985-86 के लिए एक अरब 40 करोड़ रु०

जनजाति उप योजना के लिए वर्ष 1985-86 में एक अरब 40 करोड़ रु० की विशेष केन्द्रीय राशि निर्धारित की गई है। यह राशि पिछले वर्ष की राशि से 14 करोड़ 50 लाख रु० अधिक है। आमतौर पर विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग मुख्य रूप से परिवारोन्मुख योजनाओं तथा इनसे संबंधित बुनियादी सुविधाओं के लिए किया जाता है।

जनजाति उपयोजना के अंतर्गत छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को 4 अरब 82 करोड़ 62 लाख रु० आबंटित किए गए थे। जनजाति विकास पर गठित कार्यदल ने सातवीं योजनावधि (1985-90) के लिए अधिक मात्रा में विशेष केन्द्रीय सहायता दिए जाने का सुझाव दिया है। सातवीं योजना अवधि के आबंटन को अभी योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है।

जनजाति उप-योजना एक क्षेत्र विकास योजना है जिसमें जनजाति क्षेत्र के लोगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस समय 17 राज्यों और दो केन्द्रशासित प्रदेशों के जनजातियों के 75 प्रतिशत व्यक्ति इस योजना के तहत आते हैं। विशेष केन्द्रीय सहायता योगदान के रूप में है तथा जनजाति क्षेत्रों के राज्य योजना की पूरक है।

छठी योजना के दौरान दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता से किए गए व्यय से येह स्पष्ट होता है कि इस धनराशि का 43 प्रतिशत लाभोन्मुखी कार्यों के क्षेत्र में 32 प्रतिशत सामाजिक सेवाओं, 4 प्रतिशत बुनियादी तथा 21 प्रतिशत अन्य संबंधित कार्यों पर व्यय किया गया। □

# गुणकारी लौंग

## सुशीला मेहता

कितनी ही वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम नित्य प्रति अपने प्रयोग में लेते हैं किंतु हम उसके वास्तविक गुणों से अनभिज्ञ रहते हैं। लौंग मसालों के साथ कई घरेलू औषधियों में भी प्रयोग किया जाता है।

आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्रों में लौंग के गुणों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है, लौंग दीपन, पाचन, शीतल, कफ पित्तनाशक होता है, लौंग का प्रभाव पाचनक्रिया पर सबसे अधिक पड़ता है। यदि किसी सब्जी में मसाले के रूप में उपयोग किया जाय तो भोजन जल्दी हजम हो जाता है।

लौंग का रासायनिक विश्लेषण किये जाने पर उसमें से 15 से 20 प्रतिशत तक एक उड़नशील तेल और एक करियोफाइलीन नामक गंधहीन, स्वादहीन रवेदार पदार्थ पाया जाता है। इसमें जो उड़नशील तेल पाया जाता है उसमें से 92 प्रतिशत तक युजेनाल नामक महत्वपूर्ण पदार्थ तथा फार्यूराल मेथिलसलिसिलेट आदि पाये जाते हैं। इसमें गालोटनिक एसिड 13 प्रतिशत तक होता है। लौंग कई रोगों में लाभकारी है इसके उपयोग निम्न हैं—

— नजला जुकाम में आधा कप गर्म पानी में 2-3 लौंग और थोड़ा नमक मिलाकर पीने से आराम मिलता है।

— पेट में कीड़े हो जाने पर लौंग का उपयोग करने से आराम मिल जाता है।

— पिसा हुआ लौंग या उसका तेल सिर में लगाने से सिर दर्द दूर हो जाता है या पानी में 2-4 लौंग उबालकर वह पानी पीने से दर्द दूर हो जाता है।

— लौंग को चबाने से मूंह की बदबू दूर हो जाती है व पाचन क्रिया ठीक रहती है।

— लौंग चबाते रहने से गला साफ रहता है एवं आवाज नहीं बैठती है।

— लौंग को हल्दी के साथ मिलाकर पीसकर लगाने से नासूर मिट जाता है।

— ततैया, कीट आदि के काटने पर या मकड़ी के शरीर पर फिर जाने पर उसके विषैले प्रभाव को नष्ट करने के लिए लौंग को पानी में घिस कर लगाना चाहिए।

— लौंग चबाने से दांतों के दर्द से आराम मिलता है। लौंग एवं फिटकरी को सम मात्रा में पीसकर मसूढ़ों और दांतों पर मलने से दर्द दूर हो जाता है।

— गर्भावस्था में प्रायः महिलाओं को उलटियां आती है। ऐसे समय लौंग पीस कर मिश्री मिलाकर खाने से लाभ होता है।

— यदि बार-बार हिचकी आती हैं, तो तीन लौंग पानी के साथ लें, तुरंत ही आराम मिल जाएगा।

— लौंग को भूनकर पीसकर शहद के साथ मिलाकर खाने से गले की खराश तथा काली खांसी में बहुत लाभ होता है। बल्कि खांसी का दौरा होने पर कुछ देर लौंग चूसना चाहिये।

— हैजे में लौंग का पानी बनाकर देने से प्यास और वमन कम होने पर पेशाब आता है।

— आंखों पर छोटी-छोटी फुंसियां हो जाने पर लौंग पीसकर लगाना चाहिए। □

**द्वारा श्री मलय जी मेहता**
**कस्तूरबा नगर**
**118-A हबीबगंज**
**भोपाल**

# शाहबाद व किशन गंज के आदिवासियों के लिए टसर रेशम योजना

कोटा जिले की पंचायत समिति शाहबाद एवं किशनगंज आदिवासी सहरिया बाहुल्य हैं। यहां स्थित सीताबाड़ी के जंगलों में आदिवासियों को रेशम के कीड़े पालने तथा रेशम उत्पादन पर रोजगार सुलभ कराने के लिए वर्ष 1982-83 में अन्तर्राष्ट्रीय टसर रेशम योजना के तहत 5 हैक्टेयर भूमि में अर्जुन पौधे लगाए गए। योजना के आरंभ से अब तक विभिन्न चरणों में 130 हैक्टेयर में 7 लाख 66 हजार पौधे अर्जुन के लगाए जा चुके हैं। इस पौधे को स्थानीय भाषा में कोहड़ा कहा जाता है। यह पौधा यहां के जंगलों में प्राकृतिक रूप में भी पाया जाता है। इस योजना पर अब तक स्वीकृत पांच लाख रुपये जुटाया जा चुका है जिसमें से एक लाख 38 हजार रुपया व्यय किया जा चुका है।

चालू वित्तीय वर्ष 1985-86 के सितम्बर माह के प्रारंभ में वर्ष 1982-83 में लगाए अर्जुन पौधे, जो 8 फुट तक हो चुके हैं पत्तियों पर करीब सवा लाख अंडे छोड़े गये। इनमें से आधों में कीड़े निकल कर पत्तियां खाने लगे हैं। वृक्षारोपण चार-चार फुट की दूरी पर किया गया था।

यह योजना प्रारंभिक एवं प्रायोगिक रूप में वन मंडल बांरा द्वारा संचालित की जा रही है। योजना के लिए राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कोटा के माध्यम से प्राप्त हुई है। तकनीकी सलाह केन्द्रीय टसर अन्वेषण एवं प्रशिक्षण केन्द्र रांची से प्राप्त होती है।

## प्रभात कुमार सिंघल

पौध तैयारियों के विषय में वन मंडल अधिकारी श्री अरुण सेन ने बताया कि अप्रैल-मई में बीड़ा एकत्रित कर लिए जाते हैं। इसे उबाले पानी में चार-पांच दिन भिगोकर, फार्म यार्ड मैन्यूर डाल कर तैयार की गई क्यारियों में बो कर बोरी से ढक दिया जाता है। सुबह शाम पानी दिया जाता है। 9 से 25 दिनों के बीच 90 प्रतिशत बीज अंकुरित हो जाते हैं। पौध बड़ी होने पर वर्षा ऋतु जुलाई-अगस्त के मध्य चार-चार फुट की दूरी पर पौधे लगा दिये जाते हैं। पांच वर्ष में यह पौध रेशम कीट पालन योग्य हो जाती हैं।

तैयार पौधों से रेशम प्राप्त करने के बारे में वन मण्डल अधिकारी ने जानकारी दी कि कोपलों को खा कर रेशम का कीड़ा अपने चारों ओर रेशम का तार छोड़ता है। इस प्रकार रेशम का कीड़ा स्वयं छोड़े तारों में कैद हो कर कोकून कहलाता है। कोकून को इकट्ठा कर पानी में उबाला जाता है। इससे कोकून के अन्दर का लार्वा मर जाता है तथा रेशम प्राप्त कर लिया जाता है।

पौधों की देख भाल के लिए प्रति पौधा 60 पैसा प्रति महिना आदिवासियों को दिया जाता है। कोकून तैयार होने पर इन्हें राजकीय नान्ता फार्म क्रय कर लेता है। इस योजना की सफलता पर आदिवासी स्वयं इसे कुटीर व्यवसाय के रूप में अपनायेंगे तो यह उनकी हितपूरक बन सकेगी। □

**सहायक जन संपर्क अधिकारी,**
**सूचना केन्द्र**
**कोटा-324001**
**(राज.)**

---

# गजल

कैसा भी वातावरण हो खुद को घबराने न देना
आस के फूलों को पतझड़ में भी कुम्हलाने न देना

कोलाहल हो, जमघटे हों या कहीं तांते बंधे हों
इन सभी के बीच जाकर रूह मुर्झाने न देना

प्रेम पथ पर प्रेम रथ ही तू सदा दौड़ाते रहना
प्रेम पथ पर क्रोध का बादल कभी छाने न देना

धर्म मानवता से ऊंचा हो नहीं सकता कोई भी
धर्म मानवता का रक्षक है यह झुठलाने न देना

कोकिला-स्वर में सभी की आत्मा बस यह पुकारे
जिन्दगी इक बार मिलती है व्यर्थ जाने न देना

इस समूचे विश्व को बन्धु समझ परिवार अपना
तू अकेला है यह दिल में भावना आने न देना।

**अनिल पठानकोटी**
**द्वारा हंस राज गुप्ता, कृष्णा गली,**
**पठानकोट-145001**

# यों काया पलट किया दरिद्र पहाड़िया लोगों का कोरैया पहाड़िया ग्राम सभा संगठन ने

दुमका पाकुड़ मार्ग पर दुमका प्रखंड से लगभग छः किलोमिटर कोरैया पहाड़िया ग्राम-सभा की कहानी, सामूहिक-समेकित विकास की कहानी है जिससे इस ग्राम सभा के अन्तर्गत 12 ग्रामों-कोरैया, नकटी, उसारो, नावाडीह, घघरा, गुहयाजोरी, उपर मझियारा, बांस, कनाली, लेटो, सरखरिया, ढीड़िया एवं ताड़ाजोड़ा ग्रामों के लगभग पांच सौ से भी अधिक पहाड़िया ग्रामवासी लाभान्वित हो रहे है।

कोरैया पहाड़िया ग्राम सभा द्वारा संचालित दरी बुनाई प्रशिक्षण सह-उत्पादन केन्द्र द्वारा बासठ हजार रुपये की लागत पर प्रशिक्षण सह-उत्पादन केन्द्र भवन का निर्माण किया गया है। ट्राईसेम योजना के अन्तर्गत दुमका प्रखंड की ओर से सात पहाड़िया युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है एवं चौदह हजार चार सौ रुपये की लागत पर बारह करघों की आपूर्ति दुमका प्रखंड की ओर से पहाड़ी कल्याण योजना के अंतर्गत की गई है। अब तक केन्द्र द्वारा सात सौ पैंतालिस दरियों का निर्माण किया जा चुका है, जो विभिन्न पहाड़िया विद्यालयों को आपूर्ति की गई है। वे दरियां पुरानी साड़ियों एवं धोतियों से बनाई जाती हैं।

इस केन्द्र द्वारा ऊनी एवं सूती चादर बनाने का भी कार्यक्रम है तथा निकट भविष्य में ही इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। ट्राईसेम योजना के अन्तर्गत इस कार्य के लिए छः पहाड़िया युवाओं को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

दुमका प्रखंड की ओर से पांच हजार तीन सौ एवं पहाड़िया के कार्यालय से तीस हजार रुपये कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) के रूप में कोरैया पहाड़िया ग्राम सभा को दिए गए हैं।

पहाड़िया ग्राम सभा में दस-दस फुट व्यास के दो सिंचाई कूप निर्माण का काम पूरा कर लिया है, तथा दो कुओं का निर्माण कार्य जारी है जो निकट भविष्य में पूरा होने वाला है। इन चारों सिंचाई कूपों पर छत्तीस हजार आठ सौ चालीस रुपये व्यय किए गए हैं। ग्राम सभा ने चौंतीस हजार, सात सौ, निन्यानवे रुपये के लागत पर पहाड़िया ग्राम सभा भवन का भी निर्माण किया है।

**पहाड़ियों के बीच पूर्ण नशाबंदी:-** पूर्व में पहाड़िया परिवार के सदस्य गण खजूर एवं ताड़ के रस का सेवन नशा के रूप में करते थे, जिसके फलस्वरूप नशा से वशीभूत होकर आपस में झगड़ा करते थे तथा औरतों को बेरहमी से मारते पीटते थे। पहाड़िया ग्राम सभा की स्थापना होने से पूर्ण नशाबंदी चालू की गयी। इससे पहाड़िया समाज का विकास हुआ एवं औरतों को राहत मिली, साथ ही समाज में इनकी आस्था बनी।

**महाजनों से ऋण मुक्ति:-** पूर्व में पहाड़िया लोग महाजनों के चंगुल में फंसे रहते थे एवं ऋण के बोझ में दबे रहते थे। उनमें शिक्षा के अभाव के कारण महाजन लोग मनमानी तौर पर अंगूठे का निशान लेकर उनके नाम दो गुणा से भी अधिक ऋण भर लेते थे एवं बाद में अधिक से अधिक सूद के साथ राशि बसूल करते थे। जिसके फलस्वरूप इन गरीब पहाड़िया लोगों की सारी उपज महाजनों के पेट में चली जाती थी। फलस्वरूप गरीब पहाड़ियाओं की आर्थिक दशा दिन प्रति दिन बदतर होती चली गयी। किन्तु पहाड़िया ग्राम सभा की स्थापना से पहाड़िया लोगों को महाजनों के चंगुल से छुड़ाया गया। पहाड़िया गांवों में महाजनों के प्रवेश बंद कर दिये गये हैं। गांव सभा की ओर से ही जरुरतमंद व्यक्तियों को

ऋण देने की व्यवस्था की गयी एवं सूद नाम मात्र का ही निर्धारित किया गया। ग्राम सभा अपने स्तर से ही ऋण देती एवं पुनः समय पर वसूली भी करती है। वसूली काफी संतोषप्रद है।

पहाड़िया ग्राम सभा ने इस योजना में स्वयं 2,000 रुपये लगाया है तथा पहाड़िया कल्याण कार्यालय की ओर से 8,000 रुपये की सहायता दी गयी है। इच्छुक व्यक्तियों को विहित प्रपत्र में आवेदन देना पड़ता है ततुपश्चात् उन्हें ग्राम सभा की अनुशंसा के आधार पर ऋण की स्वीकृति की जाती है। इससे पहाड़िया परिवार के सदस्यों को काफी राहत मिली है तथा महाजनों के चंगुल से वे बच पाये हैं।

**साक्षरता अभियान:-** ग्राम सभा की ओर से वृद्ध स्त्री एवं पुरुषों को साक्षर बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। कुछ ही समय में जो लोग टीप निशान देते थे, अब वे हस्ताक्षर करना भी जान गये हैं। बहुतों को थोड़ी बहुत लिखने पढ़ने की भी जानकारी हो गई है।

**ग्रामीण अन्न भंडार की स्थापना:-** महाजनों से ऋण मुक्ति के दृष्टिकोण से पहाड़िया ग्राम सभा में एक ग्रामीण अन्न भंडार की स्थापना की गयी है, जिसके लिए कोई भी सरकारी सेवक प्रतिनियुक्त नहीं है। पहाड़िया ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा ही इसका पूर्ण रूपेण संचालन किया जाता है। बहुत कम दर पर बुरे दिनों में जरूरत मंद पहाड़िया लोगों को, विहित प्रपत्र में आवेदन लेकर, ग्राम सभा की स्वीकृति के उपरान्त अनाज दिया जाता है साथ ही नई फसल होने पर उसकी वसूली भी की जाती है। इस वर्ष (1985) में 20 पहाड़िया लोगों के बीच 8 क्विंटल 15 किलो धान का वितरण किया गया है, जिसकी वसूली धान की आगामी नई फसल होने पर की जाएगी। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत पहाड़िया लोगों को काफी राहत मिली है।

**अनिवार्य बचत योजना:-** इस योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा में प्रत्येक पहाड़िया परिवार के सदस्य से एक रु० प्रतिमाह की दर से जमा किया जाता है। इससे पहाड़िया लोगों में बचत की प्रवृत्ति जागृत हुई है साथ ही राशि की बचत भी हो जाती है।

**सामूहिक खेती:-** ग्राम सभा की स्थापना के पूर्व पहाड़िया लोग नशा से चूर होकर आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, जिससे आपस में मतभेद की भावना थी, किन्तु अब ये सभी लोग संगठित होकर सामूहिक रूप से खेती करते हैं तथा जो पैदावार होती है, उसे आपस में बांट लिया करते हैं। इससे एकता की भावना तो जागृत होती ही है साथ ही पैदावार भी अधिक होती है।

**ग्राम स्तर पर ही न्याय करना:-** पूर्व में मामूली आपसी मतभेद होने पर भी ये पहाड़िया लोग कचहरी की शरण लेते थे, जिससे इनका अधिकांश समय एवं पैसा कचहरी में ही लग जाता था। किन्तु जब से ग्राम सभा की स्थापना की गयी है तब से ग्राम स्तर के आपसी झगड़े को ग्राम स्तर में ही ग्राम सभा के माध्यम से निबटाया जाता है, जिसके फलस्वरूप कचहरी में चक्कर लगाना स्वतः बंद हो गया है। ग्राम सभा में ही निष्पक्ष रूप से सभी तरह के मामलों का निबटारा किया जाता है। इस व्यवस्था से लोगों की आर्थिक बचत के साथ साथ आपसी वैमनस्यता भी दूर हो गयी है।

**महिला एवं शिशु कल्याण कार्य:-** पहाड़िया ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को अपनी तथा बच्चों की पूर्ण सफाई रखने से संबंधित शिक्षा दी जाती है। ग्राम सभा के सदस्य प्रत्येक परिवार के सदस्यों से मिलते हैं और एतत् संबंधी जानकारी उन्हें देते हैं। इस व्यवस्था से ग्रामीण महिलाओं एवं बच्चों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। सफाई रहने से अब रोगग्रस्तता नगण्य हो गई है। साथ ही दुमका प्रखंड की ओर से भी आवश्यकतानुसार चिकित्सा अनुदान दिया जाता है तथा प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी को समय-समय पर भेज कर उनकी स्वास्थ्य जांच कराई जाती है।

**ग्रामीण औद्योगिकरण:-** पूर्व में पहाड़िया परिवार के लोग उद्योग से वंचित थे। इस विषय में किसी भी सदस्य को जानकारी नहीं थी और न ही लोग दिलचस्पी लेते थे, किन्तु पहाड़िया ग्राम सभा की स्थापना से कई छोटे-छोटे उद्योगों को प्रारम्भ किया गया है। खजूर एवं ताड़ के रस से गुड़ बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। स्थानीय हिजला मेला में इसे बेचकर अच्छा प्रचार किया गया है। इससे उन लोगों को आर्थिक सहायता तो मिली ही है, साथ ही नशाबंदी में भी काफी मदद मिली है। कोरैया में पुराने कपड़ों से दरी तथा पालनी बनाने का कार्यक्रम हस्तकरघा द्वारा चालू किया गया है। निकट भविष्य में ऊनी एवं सूती चादर भी करघा से बनाने का कार्यक्रम है। साथ ही हल्दी, मिर्च, गरम मशाला आदि भी बनाके ग्राम सभा की और से बाजार में आपूर्ति करने का कार्यक्रम है। कोरैया के पहाड़िया लोगों को पंपिंग सेट मरम्मत का प्रशिक्षण भी रांची में दिया गया है। अब वे देहात में ही मोटर साईकिल मरम्मत का कार्य कर सकते हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। वे इससे स्वनियोजित हो सकेंगे। कोरैया में पहाड़िया औरतों को अम्बर चरखा का प्रशिक्षण भी दिया गया है। इसी प्रकार पहाड़िया लोगों के स्वनियोजन हेतु ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत आम एवं कटहल से अचार बनाने का प्रशिक्षण देकर अचार बनाने तथा फल संरक्षण का कार्यक्रम है। ग्राम स्तर पर खल्ली एवं प्लेट बनाने की भी योजना स्वीकृत है, जिससे पहाड़िया लोगों को स्वनियोजित किया जा सकेगा। इमली के वृक्ष तथा अन्य जंगली वृक्षों से ग्राम स्तर पर ही रसायन (केमिकल) बनाने की योजना स्वीकृत है, जिससे पहाड़िया परिवार स्वनियोजित हो कर लाभान्वित हो सकेंगे। □

# उत्तर प्रदेश में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना सितम्बर 1985 तक की प्रगति रिपोर्ट

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लाभदायक आर्थिक कार्यक्रम देकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से यह योजना प्रदेश के सभी विकास खण्डों के माध्यम से चलाई जा रही है। योजना का संचालन भारत सरकार के 50 प्रतिशत अंशदान तथा 50 प्रतिशत प्रदेश सरकार के अंशदान से चलाई जा रही है।

वर्ष 1985-86 में इस योजना हेतु 6827.25 लाख रुपये के परिव्यय के सापेक्ष में सितम्बर तक 2283.36 लाख रुपया व्यय किया गया। आलोच्य वर्ष में 6.7 लाख लाभान्वित किये जाने वाले परिवारों के लक्ष्य के विपरीत सितम्बर, 1985 तक 1.65 लाख परिवारों को कृषि, लघु सिंचाई, पशुपालन, उद्योग एवं व्यवसायों से संबंधित कार्यक्रमों द्वारा लाभान्वित किया जा चुका है। जिसमें 0.70 लाख परिवार अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं। इस अवधि में लाभार्थियों को 4698.40 लाख रुपये का व्यवसायिक तथा सहकारी बैंकों द्वारा ऋण वितरित किया गया।

### राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना

यह योजना प्रदेश में दिसम्बर, 1980 से संचालित की जा रही है। अब यह योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना का अभिन्न अंग बन गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के साधन के साथ-साथ स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण करना इस योजना का विशेष उद्देश्य है। योजना का आधा भाग केन्द्र सरकार द्वारा एवं आधा भाग प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाता है। वर्ष 1983-84 से इस योजना का कार्यान्वयन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत जनपदों के लिए वित्तीय प्राविधान, सीमान्त कृषकों, भूमिहीन कृषक मजदूरों एवं अनुसूचित जाति तथा जनजाति के परिवारों की संख्या को ध्यान में रख कर किया जाता है। संबंधित अभिकरण चयनित परियोजनाओं का कार्यान्वयन उनकी उपयुक्तता को ध्यान में रखकर पंचायती राज संस्थाओं, जिला परिषदों, विकास खण्डों तथा तकनीकी विभागों जैसे-सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग अथवा वन विभाग आदि से कराने हेतु स्वतंत्र है। दिनांक 1-10-85 से निःशुल्क वितरित होने वाला खाद्यान्न बन्द हो गया है फिर भी भारत सरकार ने योजनान्तर्गत 2 किलोग्राम खाद्यान्न सस्ती दर पर देने का प्रस्ताव किया है। यदि कोई मजदूर चाहे तो 2 किलो गेहूं का 3 रु० कटाकर 2 किलोग्राम गेहूं तथा शेष मजदूरी नकद प्राप्त कर सकता है परन्तु एक किलो गेहूं सस्ती दर पर लेना अनिवार्य है।

वर्ष 1985-86में प्रश्नगत योजना हेतु 7844 लाख रुपये का परिव्यय का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य के सापेक्ष में सितम्बर, 1985 तक 2698.11 लाख रुपया व्यय किया जा चुका है। उक्त धन का व्यय श्रम सामान तथा खाद्य सामग्री के भुगतान के लिए किया गया है। आलोच्य वर्ष में 427 लाख मानव दिवस लक्ष्य के सापेक्ष में सितम्बर, 1985 तक 148.37 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति, 74.55 लाख अनुसूचित जनजाति 1.22 लाख तथा 74.55 लाख मानव दिवस का लाभ सामान्य सदस्यों को प्राप्त हुआ है।

### ग्रामीण हरिजन पेयजल योजना

मानवीय आवश्यकताओं में पेयजल जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ग्रामीण अंचलों में हरिजन एवं पिछड़े वर्ग की बस्तियों में जहां पेयजल सुविधा नहीं है। यह सुविधा सुलभ कराने हेतु यह योजना 1972 में प्रारंभ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत मैदानी जिलों में पेयजल कुँओं, कुछ क्षेत्रों में डिग्गियों का निर्माण शत प्रतिशत राजकीय सहायता से कराया जाता है। 1-4-84 से हरिजन पेयजल योजना का मैदानी क्षेत्र परिव्यय/प्राविधान उत्तर प्रदेश जल निगम को शासकीय नियमानुसार सीधे आवंटित किया गया है। वर्ष 1985-86 में इस योजना के अन्तर्गत 280 लाख रुपये का प्राविधान रखा गया है। माह सितम्बर, 1985 तक 43.97 लाख रुपये इस योजना पर व्यय किये गये हैं। सितम्बर, 1985 में 322 कूप, 117 डिग्गी ओर 52 हैण्डपम्प बनवाये गये हैं।

### ग्रामीण निर्बल वर्ग आवास योजना

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले निर्धनतम परिवारों के सदस्यों को आवास निर्माण हेतु प्रेरक सहायता

आर०एन०/708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी (डी एन) 98
पूर्व भुगतान के बिना सिविल लाइन्स डाकघर, दिल्ली में डाक में डालने की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

RN/708/57
P & T Regd. No. D (DN) 98.
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at Civil Lines Post Office, Delhi

# सातवीं योजना में ग्रामोद्योगों पर जोर

राष्ट्रीय विकास परिषद ने सातवीं योजना का प्रारूप स्वीकार कर लिया। इस योजना में 3,22,366 करोड़ रुपये के कुल विनियोग की परिकल्पना की गयी है, और अगले पांच वर्षों में (1985-90) पांच प्रतिशत विकास दर पर पहुंचने का इरादा किया गया है। इस योजना में गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असंतुलनों पर सीधा प्रहार किया जायेगा।

प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विकास परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया और सभी सम्बन्धित अभिकरणों से आग्रह किया कि वे उसके सफलतापूर्वक कार्यान्वियन के लिए सभी सम्भव प्रयास करें और अपना सक्रिय सहयोग दें।

श्री गांधी ने कहा कि सातवीं योजना में क्षमता के नये प्राचल स्थापित किये जायेंगे, अवस्थापना सम्बन्धी कमियों को दूर किया जायेगा और ऊर्जा में उपयुक्त विनियोग किया जायेगा।

नीति ढांचे में लघु-स्तरीय और ग्रामोद्योगों को अधिक उत्पादक और सक्षम बनाने हेतु बेहतर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

राष्ट्रीय विकास परिषद की दो-दिवसीय विचार गोष्ठी के समापन भाषण में श्री गांधी ने पुन: यह दृढ़ता के साथ कहा कि गरीबी निवारण योजना का मूलभूत सिद्धांत बना रहेगा किन्तु, गरीबी का निवारण उद्योग और कृषि दोनों में बेहतर प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल मात्र से किया जा सकता है।

श्री गांधी ने कहा कि आत्मनिर्भरता आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य है। किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि देश के अन्दर विदेशी लागतों की अपेक्षा उच्चतर लागतों पर उत्पादन किया जाय।

स्वीकृत प्रारूप योजना के कुल विनियोग में से 1,80,000 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र के लिए हैं ताकि संसाधन जुटाने के लिए जोरदार प्रयास किये जा सकें।

योजना में कुल 5 प्रतिशत विकास दर पर पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है जब कि कृषि की 4 प्रतिशत और उद्योगों की 8 प्रतिशत विकास दर निर्धारित की गयी है।

आशा की जाती है कि गरीबी का अनुपात वर्ष 1984-85 के 36.0 प्रतिशत से घट कर वर्ष 1989-90 में 25.8 हो जायेगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करने वाले लोगों की संख्या 272.7 मिलियन से घटकर 210.8 मिलियन हो जायेगी।

कुल निवेश का 94 प्रतिशत स्वदेशी निधि से किया जायेगा। बचत का अनुपात कुल स्वदेशी उत्पाद के 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 1989-90 में 24.5 प्रतिशत हो जायेगा और कुल निवेश की दर कुल स्वदेशी उत्पाद के 24.5 प्रतिशत (1984-85) से बढ़कर योजना के अन्त तक 25.9 प्रतिशत हो जायेगी। □

## 'गुलाब'

मन के गमलों में
गर आप मन पसंद फूल उगाएं,
बीजों को प्यार दें,
सहारा दें, उन्हें उभारें,
उठायें। पौध सवारें

रूढ़िग्रस्त कुहासे से बाहर निकल,
तर्क, कुतर्क, विवाद से मुख मोड़,
मुक्त चिन्तन को निखारें
हर हालत में, तुम्हारी ही विवशताएं
पूनम का चांद बन
तुम्हारे अंधेरे में भरेंगी उजाले
श्रम से यदि घबराओगे
दूर जाओगे,
सच कहता हूं, जीवन को निरर्थक पाओगे
क्या करोगे निठल्ले
बैठे ठाले
इससे अच्छा है, आओ देश के लिये,
देशवासियों के लिये
कुछ करें।

इस जीवन को सार्थक बनालें
इस पत्थर बनी दुनिया में—
कहीं तो गुलाब खिला होगा?
आओ चलें!
ढूंढ़ निकालें!!

**राम निवास शर्मा मयंक**
**20—इ सुन्दर विलास**
**अजमेर**
**305001**

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और
एलाइड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड ए-104, मायापुरी, नई दिल्ली-110064 द्वारा मुद्रित

# नवीनतम संग्रहणीय प्रकाशन

- गढ़वाल चित्रकला — 175-00
  लेο : मुकन्दी लाल
- भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास
  लेο : डाο ताराचंद
  खण्ड-2 — 40-00
  खण्ड-3 — 35-00
  खण्ड-4 — 45-00
- भारत की मस्जिदें — 8-00
  लेο : डाο जियाउद्दीन एο देसाई
- स्वतंत्र भारत में सामाजिक क्रांति — 4-00
  लेο : डाο जनार्दन दत्त शुक्ल
- जिप्सी (भारत की विस्मृत संतति) — 36-00
  लेο : चमन लाल
- भारत में इस्लामी शिक्षा के केन्द्र — 16-50
  लेο : डाο जियाउद्दीन एο देसाई
- मराठा शक्ति का उदय — 18-50
  लेο : महादेव गोविन्द रानाडे
- हमारे मुस्लिम संत कवि — 12-00
  लेο : कृο गोο वानखेड़े गुरुजी
- आधुनिक पंजाबी कहानियां — 11-00
  संकलनकर्त्ता: अजीत कौर
- बाल महाभारत (भाग-3) लाक्षागृह — 5-50
  लेο : राष्ट्रबन्धु
- रासलीला — 12-50
  लेο :बसन्त यामदग्नि
- जवाहर लाल नेहरू — 28-50
  लेο : एमο चेलापति राव
- चंद्रशेखर वेंकटरमन — 9-00
  लेο : पीο आरο पिशारोती
- हनुमान प्रसाद पोद्दार — 9.00
  लेο : डाο ब्रजलाल वर्मा
- एसο श्रीनिवास अय्यंगर — 15-00
  लेο : वेदप्रकाश अरोड़ा
- एमο विश्वेश्ववरैया — 15-25
  लेο : वीο सीतारामैया
- अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी — 11-00
  लेο : मालती शंकर
- जवाहर लाल नेहरू के भाषण-
  खण्ड-1 पुस्तकालय संस्करण — 16-00
  साधारण संस्करण — 12-00
- नेताजी संपूर्ण वाङ्मय
  खण्ड-1 पुस्तकालय संस्करण — 28-00
  साधारण संस्करण — 22-00
  खण्ड-2 पुस्तकालय संस्करण — 30-00
  साधारण संस्करण — 25-00
- केन्द्रीय वित्तमंत्रियों के भाषण (1955-56 से 1984-85 तक) — 50-00

**"हम सबकी पुस्तकमाला श्रृंखला"**

- प्रवासी क्रांतिकारी — 3-00
  लेο : जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी
- क्रांतिकारियों की कहानियाँ — 3-00
  लेο : मनमथनाथ गुप्त
- नमक आन्दोलन — 3-00
  लेο : डाο प्रभाकर माचवे
- भारत छोड़ो आन्दोलन — 3-00
  लेο : शंकर दयाल सिंह

प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित सभी पत्रिकाओं में से किसी भी एक पत्रिका का वार्षिक ग्राहक बन जाने पर समस्त पुस्तकों (5 रुο तथा अधिक के मूल्य) की खरीद पर 10% की छूट दी जाती है। विभिन्न विषयों पर भारत की सभी भाषाओं में उपयोगी पुस्तकें उपलब्ध हैं। निःशुल्क सूची-पत्र मंगाइए (डाक खर्च मुफ्त)।

25 रुο से कम के आदेश पर पंजीकरण शुल्क (रजिस्ट्रेशन फी) अतिरिक्त भेजना होगा। पुस्तकें स्थानीय पुस्तक बिक्रेताओं से लें अथवा सीधे हमें लिखें :-

व्यापार व्यवस्थापक,
विक्रय केन्द्र,
प्रकाशन विभाग
पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001

सुपर बाजार (दूसरी मंजिल), कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001
बिहार स्टेट को-आपरेटिव बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना-800004
10 बी स्टेशन रोड, लखनऊ-226001
8, एसप्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता-700069
कामर्स हाऊस, (दूसरी मंजिल) करीमभाई रोड, बालार्ड पायर, बम्बई-400038
एलοएलοएο आडिटोरियम, अन्ना सलाई, मद्रास-600002
स्टेट आर्कीलाजिकल म्यूजियम बिल्डिंग, पब्लिक, गार्डन, हैदराबाद-500004
प्रेस रोड, त्रिवेन्द्रम-695001

निषिद्ध है। दहेज विरोधी कानून सामाजिक भ्रष्टाचार को मिटाने में सक्षम है। किशोर व व्यस्क धुम्रपान अधिनियम; विवाहिता हिन्दू महिला का प्रथम आवास अधिनियम, परिवार नियोजन कानून तथा भरण-पोषण अधिकार 1946, हिन्दू विवाह सुधार कानून 1946; हिन्दू विवाह वैधता अधिनियम 1946; स्त्रियों तथा बालिकाओं का अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम; मुसलमानों के हित के लिए कई अधिनियम सामाजिक उत्थान के मूल हैं।

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955 के अधीन अस्पृश्यता के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक उपासना स्थान पर जाने तथा वहां उपासना करने और पवित्र तालाबों व कुओं अथवा धाराओं से पानी लेने से रोकना दण्डनीय अपराध है। राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों को शासन व्यवस्था में अनुसुचित जातियों, अनुसुचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की देख-रेख व विकास के लिए अलग विभाग होता है। विभिन्न राज्यों में इस सम्बन्ध में प्रशासन व्यवस्था अलग-अलग होती है। विचार मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार आदिम जातियों के हितों की देख भाल के लिए व्यवस्था की गयी है। भारतीय संविधान में प्राप्त भारतीय नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य की जानकारी ग्रामीण पुस्तकालय पाठ्य-सामग्री उपलब्ध कराकर व गोष्ठी आदि का आयोजन कर ग्रामीणों को दे सकता है; इससे समाज के दबे लोगों को ऊपर लाने में सहयोग कर सकता है।

धार्मिक अन्धविश्वासों को दूर करने के लिए विभिन्न धर्मों के धर्म ग्रन्थों का ग्रामीण पुस्तकालय में होना जरूरी है। ताकि इसका अध्ययन कर गांव के लोग धार्मिक गलतफहमियों को दूर कर सकें। अत: ग्राम्मीण पुस्तकालय लोगों को यह शिक्षा दे सकती है कि—"मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना" जो राष्ट्रीय अखण्डता व एकता के साथ साथ नव निर्माण के लिए आवश्यक है। इससे रुढ़िवादी मान्यताओं का अन्त करने में ग्रामीण पुस्तकालयों का कार्य महत्वपूर्ण है।

केन्द्रीय स्तर पर खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग और देश के कई राज्यों में राज्य खादीग्रामोंद्योग बोर्ड स्थानीय कच्चे माल पर आधारित ग्रामीण उपयोगों का विकास करते हैं। उससे स्थानीय जनता की आवश्यकताओं की पूर्ती संभव है। इस क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण उद्योग ये हैं:-अनाजों और दालों को उपयोग के लिए तैयार करना, ग्राम-तेल, गुड़ खाण्डसारी, खजूर का गुड़, अखाद्य तेल, गोबर गैस, मधुमक्खी पालन, हस्त निर्मित काम उद्योग, गांव का वर्तन उद्योग, बढ़ई गिरी और लोहार का काम आदि हैं। इन ग्रामीण उद्योगों में आ रही नई-नई बातों को आयोग व बोर्डों से सम्पर्क कर ग्रामीण पुस्तकालय के माध्यम से जरुरत मंदों तक पहुंचाकर वे रोजगारी की समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती है।

राष्ट्रीय एकता व अखण्डता के लिए सभी ग्रामीण पुस्तकालय अगल-बगल के पुस्तकालयों से सम्पर्क रखें तो एक गांव का सम्पर्क दूसरे गांव से दूसरे का तीसरे गांव से होगा तो देशों के सारे गांव सम्पर्क सुत्र में बंध जायेंगे जिससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। देश मजबूत होगा। इस शुभ कार्य को ग्रामीण पुस्तकालय कर सकता है।

उपर्युक्त सारी बातें मैं कोई सिद्धांत रूप में नहीं कह रहा हूं बल्कि व्यवहार में उतार कर देख चुका है। मैं एक ग्रामीण पुस्तकालय संगठित कर सहायता पूर्वक कम खर्च में इसे संचालित कर रहा हूं। हां, भावना नि:स्वार्थ होनी चाहिए। इससे मेरी खेती-बाड़ी में काफी सुधार हुआ है व मेरे गांव व इलाके के लोग भी लाभ उठा रहे हैं। 21-वीं सदी में जाने के लिए ग्रामीण पुस्तकालयों की भूमिका महान होगी जब गांव विकसित होगा तब देश आगे होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार के प्रयास से ग्रामीण पुस्तकालय हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, ग्रामीण औद्योगिक क्रांति, सामाजिक क्रांति के धार को तेज कर राष्ट्रीय नव निर्माण में योगदान कर सकते हैं। □

**अध्यक्ष**
**कृषि पुस्तकालय**
**ग्राम-वरमा, पो० सिरारी**
**जि०-मुंगेरु (बिहार)**

**पौधा लगाया था जिन्होंने, वे नहीं मौजूद हैं, पानी लगाया था जिन्होंने, वे भी किनारा कर गए। फूल आए, फल लगे पर चखने वाले और हैं। ए चखने वालो! फल चखो, पर पौधे को जर-जर ना करो।**

महेन्द्र पाल सिंह

उत्कृष्ट पत्रिका है 'कृषि सूचना शाखा' देश के सभी राज्यों के कृषि विभाग के अंतर्गत हैं जो ग्रामीण पुस्तकालयों को मुफ्त कृषि पाठ्य-सामग्री विभिन्न विषयों पर देते हैं।

'कृषि उद्योग विकास निगम' कई राज्यों में स्थापित किये गये हैं। यह निगम मुख्यतः कृषि मशीनों के वितरण, किराये पर मशीन देने के कार्यों में लगा है। अतः इससे सम्पर्क कर ग्रामीण पुस्तकालय के द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाया जा सकता है।

कुदनी और हिसार के ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्रों में कृषि उपकरणों का सैद्धान्तिक और व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है। ग्रामीण पुस्तकालय अपने सदस्यों को उक्त केन्द्रों में भेजकर प्रशिक्षण प्राप्त करा सकते हैं जिससे कृषि के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी।

'भारतीय खाद्य निगम'—यह खाद्यानों की वसूली आयात, वितरण तथा भण्डारण, लाने ले जाने और बिक्री के लिए, केन्द्रीय सरकार का एक अभिकरण है। अतः इससे बिचौलिये का शोषण बन्द करने में मदद मिलेगी।

'केन्द्रीय गोदाम निगम'—व्यक्तियों, सरकारी समितियों तथा अन्न संगठनों द्वारा की गई कृषि जिन्सों, खेती के काम आने वाले पदार्थों, औजारों तथा जिन्सों के संचय के लिए उपयुक्त स्थान है। इससे ग्रामीण पुस्तकालय के माध्यम से अनाजों के संचय संबंधी जानकारी किसानों को मिल सकती है।

गांवों में भण्डारित अनाज में विभिन्न प्रकार के कीड़े लग जाते हैं और अनाज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अतः अन्न सुरक्षा अभियान कृषि भवन, कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय व खाद्य विभाग, नई दिल्ली व इनके क्षेत्रीय कार्यालयों से सम्पर्क कर मदों से पाठ्य सामग्री मगांकर व चलचित्रों का आयोजन कराकर अनाज के भण्डारण की वैज्ञानिक जानकारी किसानों को दी जा सकती है। इससे देश में लगभग 10% अनाजों की बर्बादी रोकी जा सकती है जो खाद्य समस्या हल करने में मदद करेगी।

बढ़िया बीजों की आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय बीज निगम और राज्य बीज निगमों के बिक्री केन्द्रों व क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा किसानों को उन्नत बीज दिये जाते हैं। ग्रामीण पुस्तकालय यहां से सम्पर्क कर शंकर बीजों के बारे में किसानों को जानकारी दे सकते हैं।

टेलिवीजन व चलचित्रों के तथा रेडिया द्वारा कृषि व परिवार नियोजन कार्यक्रमों तथा सांस्कृतिक व मनोरंजन संबंधी बुलेटिनों को दिखाकर व सुनाकर घर बैठे गांव में ही लाभ उठाया जा सकता है। अतः आज के ऐलेक्ट्रानिक युग में ग्रामीण पुस्तकालय इसका लाभ उठाकर लोगों को प्रोत्साहित कर सकती है।

देश भर में फैले कश्मीर से कन्याकुमारी तक कृषि विश्व-विद्यालयों व इनसे सम्बद्ध कृषि कालेजों से ग्रामीण पुस्तकालय सम्पर्क बनाये तो कृषि समास्याओं का समाधान घर बैठे सिर्फ पत्राचार के द्वारा हो सकता है। किसान मेलों व प्रशिक्षण आदि के बारे में भी जानकारी ली जा सकती है। कृषि विश्वविद्यालय ये हैं:- आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय हैदराबाद, असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट; गोविन्द वल्लभ पंत कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंत नगर गुजरात कृषि विश्वविद्यालय अहमदाबाद; हरियाणा कृषि विश्व विद्यालय हिसार, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, केरल, कृषि विश्व विद्यालय त्रिचूर, कोंकण कृषि विद्यापीठ डिपोली; महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ राइटी; मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभानी; उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भुवनेश्वर; पंजाब कृषि विश्व विद्यालय लुधियाना; पंजाब राब कृषि विद्यापीठ, अकोला; बिरला कृषि विश्वविद्यालय कोंके (रांची); तामीलनाडू कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर; कृषि विज्ञान विश्व विद्यालय, बंगलौर; राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा से सम्बद्ध; सबौर कृषि महाविद्यालय, भागलपुर; एवं अन्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध लगभग 80 कृषि कालेज हैं जो किसानों के तीर्थ हैं। किसानों को तीर्थाटन कराने का कार्य ग्रामीण पुस्तकालय किसानों के दिमाग को विकसित करके कर सकता है। उपर्युक्त शिक्षा संस्थानों से पुस्तक-सूचि मंगाकर पाठ्य-सामग्री के द्वारा स्थानिय परिस्थितियों के मुताबिक पुस्तकों का पत्र-पत्रिकाओं का चयन भी किया जा सकता है। और इनके विभिन्न विभागों यथा धान, दलहन, पौधा संरक्षण मिट्टी जांच आदि से सम्पर्क कर विभिन्न समस्याओं का हल निकटतम संस्था से सम्पर्क कर ग्रामीण पुस्तकालय निकाल सकता है। ब्लाक स्तर से राज्य व केन्द्रीय सचिवालय स्तर तक के कृषि विभाग के श्रृंखला से सम्पर्क कर ग्रामीण पुस्तकालय किसानों की ज्ञान वृद्धि कर, पिछड़ी खेती को आधुनिक बनाने में मदद कर सकते हैं।

अब प्रश्न उठता है कि ग्रामीण पुस्तकालय किस प्रकार कृषि श्रमिकों व ग्रामीण उद्योगों को आर्थिक लाभ पहुंचा सकता है? कृषि श्रमिकों को न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए जम्मू कश्मीर के अलावा देश के सभी राज्यों में न्यूनतम वेतन कानून 1948 के अन्तर्गत कृषि श्रमिकों के न्यूनतम वेतन निर्धारित किये गये हैं। अनिश्चित कृषि श्रमिकों को उनके अधिकार की जानकारी ग्रामीण पुस्तकालय सभा व गोष्ठी का आयोजन कर दे सकता है। समय समय पर विभिन्न राज्य सरकारों ने भी कृषि श्रमिकों के वित्त के लिए कानून पास किये हैं। कार्यान्वियन सामाजिक जागृति के बिना नहीं हो सकती। अतः इन कानूनों की जानकारी सरकार के विभिन्न विभाग से सम्पर्क कर ग्रामीण पुस्तकालय समाज के सभी वर्गों को दे सकता है। केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने स्त्रियों एवं बच्चों के कल्याण के लिए कई कानून बनाये हैं। कानून का कार्यान्वयन बिना जन जागृति के संभव नहीं है। अतः ग्रामीण पुस्तकालय जनजागरण पाठ्य सामग्री के द्वारा पैदा कर सकता है। कुछ नियम ये हैं। बाल-विवाह प्रतिबन्ध अधिनियम 1929 के द्वारा विवाह के लिए लड़के व लड़कियों की आयु निश्चित की गयी हैं। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार पहली पत्नी या पति के जीवित रहते किसी पुरुष या स्त्री के लिए दूसरा विवाह करना

# राष्ट्रीय नव निर्माण में ग्रामीण पुस्तकालयों की भूमिकाएं

कृष्णा मुरारी

भारत वर्ष में कुल 5,57,139 पूर्ण बसे गांव हैं; जिनमें लगभग 44% काश्तकार, 26% कृषि मजदूर, 3% पशुधन, वन, मत्स्य पालन, फल उद्यान से सम्बद्ध धंधे पर आश्रित तथा धरेलू उद्योग एवं गांवों से सम्बद्ध क्रिया कलापों में लगे लोग हैं। इस प्रकार विभिन्न क्रिया-कलापों में संलग्न भारत के 77% लोग गांव में रहते हैं। इनके उत्थान व बहुमुखी विकास में मदद करना ही ग्रामीण पुस्तकालयों की भूमिका होनी चाहिए। सच्चे मानों में गांवों का नव निर्माण ही राष्ट्रीय नव निर्माण है जिसमें ग्रामीण पुस्तकालयों को भूमिका अदा करनी है।

भारतवर्ष के हर गांव में पुस्तकालय हो इससे हर गांव का बौद्धिक विकास होगा। जब देश का हर गांव विकास करेगा तब राष्ट्रीय विकास व नव निर्माण का योग होगा। अतः राष्ट्रीय नव निर्माण में ग्रामीण पुस्तकालयों की रचनात्मक भूमिका मुख्य है। अब प्रश्न उठता है कि हर ग्रामीण पुस्तकालय को गांव के नव निर्माण में क्या करना है। प्रक्रिया क्या हो?

कृषि विज्ञान में आ रही नई-नई बातों को ग्रामीण पुस्तकालय के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जा सकता है। जानकारी का स्रोत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् देश में कृषि अनुसंधान कार्य संबंधी शीर्षस्थ संस्था है। यहां से प्रकाशित विभिन्न प्रकार की पुस्तकें व पत्र-पत्रिकाएं मंगाकर पाठ्य-सामग्री के द्वारा किसानों के ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। अतः इनकी संक्षिप्त जानकारी आवश्यक है।

विभिन्न प्रकार की फसलों की पैकेज प्रणाली, खाद, बीज, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, सुअर पालन एवं खेती-बाड़ी से संबंधित विभिन्न क्रिया-कलापों पर पुस्तकें प्रकाशित होती है। यहां से पुस्तक-सूची मंगाकर स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक पुस्तकों का चयन किया जा सकता है। परिषद् के द्वारा प्रकाशित तीन पत्रिकाएं खेती। (मासिक) कृषि, पशुपालन व मत्स्य पालन संबंधी विभिन्न विषयों की जानकारी देती है। "फल-फूल" (त्रैमासिक)-फल-फूल, सब्जी, मसालों व मेवों की बागवानी की नई खोजों को किसान तक पहुँचाने के लिए अनोखा प्रयास है। "कृषि चयनिका—" (त्रैमासिक)— देश-विदेश की कृषि संबंधी अनुसंधान की विशेष जानकारी देने वाली अनुपम पत्रिका है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तकें व पत्र पत्रिकाएं किसानों के लिए उपयोगी है। पुस्तक—"विस्तार कार्य-कर्त्ताओं के लिए पशु पालन"—समस्त पशुओं, गाय, बैल, भैंस, बकरी इत्यादि जानवरों की देख-रेख से संबंधित सभी प्रश्नों की विवेचना के साथ-साथ इनकी सभी समस्याओं का सरल समाधान प्रस्तुत करती है। "आप की पौधा संरक्षण पुस्तिका" यह पुस्तक समस्त फसलों, दालों, सब्जियों, तेल वाले पौधों और उनके लगने वाले कीटों और बीमारियों के नियंत्रण आदि के बारे में जानकारी देती है।" भारत (उत्तर-उत्तर पूर्वी क्षेत्र) में बागवानी"—यह पुस्तक केन्द्रीय कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय विस्तार निदेशालय द्वारा प्रकाशित की गई हैं। यहां से प्रकाशित कृषि पुस्तिकायें व सूचना पत्रक भी कई हैं। पत्रिकाएं "उन्नत कृषि"—(मासिक) हिन्दी में एक सचित्र पत्रिका है। कृषि अनुसंधान के परिणामों को इतने सरल व अच्छे ढंग से समझाया जाता है कि कम पढ़ा लिखा किसान भी इसे आसानी से पढ़ व समझ सकता है। "घरनी"—गृहिणियों के लिए एक उपयोगी मासिक पत्रिका है जिसमें ग्रामीण महिलाओं व बच्चों की समस्याओं का समाधान तथा उनके हित की बातें इसमें होती है। प्रकाशन विभाग की हिन्दी पत्रिका "कुरुक्षेत्र" (मासिक) ग्रामीण पुनर्निर्माण पर

उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निर्बल वर्ग आवास योजना वर्ष 1980 से संचालित की जा रही है। इस सुविधा में लाभार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन कृषक मजदूर तथा अन्य निर्बल वर्ग के व्यक्ति हैं।

योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को निर्धारित डिजाइन के अनुसार प्राक्कलन की कुल लागत का मैदानी क्षेत्र में 75 प्रतिशत या 2,000/- रुपये जो भी कम है, पर्वतीय क्षेत्रों में लागत का 75 प्रतिशत या 3,000/- रुपये जो भी कम हो अनुदान के रूप में प्रति आवास की सामग्री हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है। शेष धनराशि का वहन लाभार्थी स्वयं अपने श्रम साधनों से करता है।

वर्ष 1985-86 में दिसम्बर, 1985 तक 4671 आवास निर्मित हुये जिसमें 3394 आवास अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिये हैं।

आलोच्य वर्ष में इस योजना में 300 लाख रुपये परिव्यय के सापेक्ष में सितम्बर, 1985 तक 126.090 लाख रुपये व्यय किया जा चुका है।

**राष्ट्रीय जनता बायोगैस**

गोबर के दुरुपयोग को रोकने तथा ग्रामीण जीवन में ईंधन एवं प्रकाश की आवश्यकता को पूरा करने एवं उच्चकोटि की जैविक खाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना की योजना चलाई जा रही है। वर्ष 1981-82 से यह योजना नेशनल प्रोजेक्ट आफ बायोगैस डवलपमेन्ट के रूप में चलाई जा रही है। यह योजना केन्द्र पोषित है। इस योजना के अन्तर्गत 5 जून, 1984 से संयंत्रों की क्षमता के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, लघु सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीं कृषकों को 2,350 रु० से 3,920 रुपये तक का अनुदान एवं सामान्य कृषकों को 1,560 रुपये से 2,610 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। तथा पर्वतीय क्षेत्रों को 2,940 रुपये से 5,350 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। विकास खण्ड स्तर के कर्मचारियों द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन एवं सीमेन्ट आदि की व्यवस्था करायी जाती है।

इस योजना में वर्ष 1985-86 में अनुदान एवं प्रोत्साहन के रूप 411.29 लाख रुपये परिव्यय के सापेक्ष में दिसम्बर, 1985 तक 122.20 लाख रुपया व्यय किया जा चुका है।

आलोच्य वर्ष सितम्बर, 1985 तक 5823 संयंत्र बनाये जा चुके हैं।

**विशेष पुष्टाहार कार्यक्रम**

यह योजना वर्ष 1985-86 से मैदानी क्षेत्र के 84 विकास खण्डों में तथा पर्वतीय क्षेत्र के 22 विकास खण्डों में चलाई जा रही है। योजना के अन्तर्गत व्यवस्था है कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को प्रतिदिन 30 पैसे के पूरक आहार में 10-12 ग्राम प्रोटीन और 250-300 कैलोरी ऊर्जा प्राप्य है। शासन द्वारा मैदानी क्षेत्र हेतु 31.685 लाख रुपया तथा पर्वतीय क्षेत्र हेतु 8.315 लाख रुपये की धनराशि आबंटित की गई है। वर्ष 1985-86 में मैदानी क्षेत्र में 10060 माताओं तथा 20120 बच्चों तथा पर्वतीय क्षेत्र में 2640 माताओं व 5280 बच्चों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य के सापेक्ष में सितम्बर, 1985 तक मैदानी क्षेत्र में क्रमशः 2811 माताओं व 7581 बच्चों तथा पर्वतीय क्षेत्र में क्रमशः सितम्बर, 1985 1817 माताओं व 6060 बच्चों की उपलब्धि हुई है। लाभान्वित में धात्री मातायें तथा 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं। □

---

**जनजाति विकासः कुछ आंकड़े**
**(केन्द्र सरकार की सहायता)**

| | |
|---|---|
| *1981 की जनगणना अनुसार देश में जनजाति के लोग | 5 करोड़ 38 लाख |
| जिन्हें 1990 तक गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का प्रस्ताव है– | 40 लाख |
| *1984-85 में खर्च की गयी केन्द्रीय सहायता राशि | 195 करोड़ 50 लाख रु० |
| *1985-86 के लिए स्वीकृत | 175 करोड़ रु० |
| * छठी योजना में परिमाण | 5535 करोड़ रु० |
| * मंत्रालय की सहायता | 485 करोड़ 50 लाख रु० |
| * जन जातीय उपयोगार्थ राज्य योजना से छठी योजना में प्रदत्त | 3550 करोड़ रु० |